



LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, December 13, 2023 / Agrahayana 22, 1945 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, December 13, 2023 / Agrahayana 22, 1945 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
REFERNCE RE: HOMAGE TO MARTYRS OF TERRORIST ATTACK ON PARLIAMENT HOUSE	1
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 141 – 146)	1A – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 147 – 160)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 1611 – 1650, 1652 – 1840)	51 – 280

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, December 13, 2023 / Agrahayana 22, 1945 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 301
MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA -- LAID	302
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 35 th Report	303
STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS 357 th to 359 th Reports	303
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 332 nd , 347 th , 364 th , 372 nd AND 379 th REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE -- LAID Shri Kiren Rijiju	304
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 384 th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE -- LAID Dr. Jitendra Singh	305

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 40th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL -- LAID Sadhvi Niranjana Jyoti	305
(i) STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 16th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS AND	306
(ii) STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 30TH AND 38TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL -- LAID Shri Danve Raosaheb Dadarao	306
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 43rd, REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY -- LAID Shri Devusinh Chauhan	306
ELECTIONS TO COMMITTEES	307 - 08
(i) Committee on Estimates	
(ii) Committee on Public Undertakings	
(iii) Committee on Welfare of Other Backward Classes	
MOTION RE: 46th REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	308
MOTION RE: 47th REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	309
BILLS INTRODUCED	309 - 11
(i) Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill	
(ii) Provisional Collection of Taxes Bill	
...	312

MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	313 - 26
REFERENCE RE: INCIDENT OF JUMPING OF TWO VISITORS FROM PUBLIC GALLERY INTO THE HOUSE	327 - 30
MATTERS UNDER RULE 377 - LAID	331 - 46
Shri Vivek Narayan Shejwalkar	331
Shri Gopal Jee Thakur	331
Shri Kunar Hembram	332
Shri Sudhakar Tukaram Shrangare	332
Shri Jagdambika Pal	333
Shri Bhagirath Choudhary	333
Dr. Manoj Rajoria	334
Shri Dilip Saikia	334
Shri G M Siddeshwar	335
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	335
Shri Tirath Singh Rawat	336
Shri Ghanshyam Singh Lodhi	336
Shri Rahul Kaswan	337
Er. Guman Singh Damor	337
Sushri Sunita Duggal	338
Shri Gajendra Umrao Singh Patel	338
Shri Rodmal Nagar	339
Shri Benny Behanan	339
Shri Abdul Khaleque	340
Dr. T.R. Paarivendhar	340
Shri Bellana Chandra Sekhar	341
Shri Sridhar Kotagiri	341

Shrimati Aparupa Poddar	342
Shrimati Pratima Mondal	342
Dr. Shrikant Eknath Shinde	343
Shri Mahabali Singh	343
Shri Mahesh Sahoo	344
Shri P.R. Natarajan	345
Shri P. Ravindhranath	346
BILL INTRODUCED	347
National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill	
POST OFFICE BILL	348 - 62
Motion for Consideration	348
Shri Ashwini Vaishnaw	348 - 50
Dr. Shashi Tharoor	351 - 59
Shri Tapir Gao	360 - 62
REFERENCE RE: OVERALL REVIEW OF SECURITY ARRANGEMENTS	363

(1100/YSH/NKL)

1101 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

संसद भवन पर आतंकवादी हमले के विषय में उल्लेख

1101 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज हम 13 दिसंबर, 2001 की उस दुःखद घटना का स्मरण करते हैं, जब कुछ आतंकवादियों ने हमारे संसद भवन पर हमला किया था तथा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करने का प्रयास किया था।

आज के दिन हम उन सशस्त्र सुरक्षा बलों की बहादुरी को नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले को विफल कर दिया था।

आज हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन आठ सुरक्षाकर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।

इस आतंकवादी हमले में एक सी.पी.डब्ल्यू.डी. कर्मी भी शहीद हुए थे। यह सभा उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। यह सभा उन शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ी है।

इस अवसर पर हम आतंकवाद का डटकर सामना करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हेतु लिए गए अपने शपथ की पुनः पुष्टि करते हैं।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति: शांति: ।

प्रश्न संख्या – 141, श्री एम. सेल्वराजा

... (व्यवधान)

(प्रश्न 141)

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Hon. Speaker Sir, the hon. Minister has given a very detailed reply with regard to Dynamic Fare System. However, coming to my Constituency, my request for construction of railway line still remains pending. The hon. Minister of Railways is very familiar with this subject. I have personally met him. Not only that, I have been also periodically telling him regarding the requirement of a railway line in my constituency.

(1105/MMN/RAJ)

It is a backward constituency and there is no employment for the educated youth. Also, because of want of a railway station, they find it very difficult. Not only that, but also, the farmers, who are producing their products, are not able to take their products to their neighbouring districts to sell them at a better price. So, the importance of a railway line is very much there. It is a 50-year dream of my constituency people. Now giving a small hope to my request and to the 50-year dream of my constituency people, I have received a letter from the Railway Department.

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, सांसद महोदय ने जो विषय उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। The hon. Member has raised a very important point. We have had multiple discussions with the hon. Member. Sir, 2-3 options of the railway line, which the hon. Member has mentioned, are being studied. As and when the survey and the DPR are getting finalised, we will take the next step.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, at the outset, I shall be begging a little indulgence from your end in order to deviate myself from the core contents of the question. However, I firmly believe that our hon. Minister is a versatile personality and he is quite capable of responding to a trivial matter which I am going to raise. आप जानते हैं कि मैं अपने राज्य के एक जिले का मुद्दा बार-बार उठाते आ रहा हूँ। कोविड के समय से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। उससे हर रोज गरीब लोग कटवा से अजीमगंज तक

सफर करते हैं। उनसे एक टिकट के लिए 23 रुपए लिए जाते हैं। नदी के उस पार एक ही डिसटेंस के लिए एवं एक टिकट के लिए 10 रुपए लिए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि स्पेशल ट्रेन कोविड के समय चालू हुई थी। कोविड गायब हो गया, लेकिन अभी भी अतिरिक्त किराया उनको चुकाना पड़ता है। वह गायब नहीं हो पाया है। इसकी वजह क्या है? आप यहां कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा जिला एस्प्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है। It is one of the backward districts in the country.

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार पैसेंजर सर्विसेज के लिए बहुत ही संवेदनशील है और आज भी भारत सरकार की तरफ से पैसेंजर्स के लिए करीब-करीब 60 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। यह रेलवे सिस्टम दुनिया के सबसे अफोर्डेबल रेलवे सिस्टम में से एक है।

मान्यवर एलाओपी साहब की तरफ से जो विषय आया है, वह स्पेसिफिक ट्रेन का है। मैं स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में मान्यवर एलाओपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मेरे साथ जरूर चर्चा करें।...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सर, यह देश का मामला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबका विषय अधीर रंजन जी ने बता दिया है और मंत्री जी के संज्ञान में आ चुका है।

(ends)

(Q. 142)

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, there has been a long spell of Presidential Rule in Jammu and Kashmir. So, because of absence of an elected Government there, there is a huge manpower crisis. So, that has resulted in manpower crisis in the key Departments of the UT. One of the Departments looking after the healthcare system is working with a manpower of 40 per cent. There is a bold and honest admission on the part of the Minister that out of the sanctioned posts in different categories, namely, non-gazetted, gazetted and multitasking, less than 50 per cent of the manpower is in place. So, the direct result is that it overall impacts the governance. The first result is that it emboldens people to go for illegal mining. We do not have sufficient staff there. Second is, the people are overstepping or unilaterally enlarging their areas that have been allotted to them for mining. It is because of less staff, there is lack of supervision.

Though really in the reply it is stated that some steps have been taken and the recruitments are made but not enough is being done. I would request the hon. Minister to ask the UT Government to expedite the selection process. (1110/VR/KN)

In the meantime, some 50 employees of J&K Cement have already been deputed. I would suggest that first the daily rated workers in Geological and Mining Department be regularised, and second, the 51 daily rated workers that we have in J&K Cement Limited can also be deputed. I would, therefore, request the Government to consider regularization and deputation of these daily rated workers.

Thirdly, the Government should also take steps for demarcating the areas which have been allotted for mining to different factory owners because the lack of staff has emboldened the entrepreneurs to go unilaterally and expand there. In this regard, there is a conflict between local population and administration.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as far as recruitment is concerned, at present the situation has been normalized in Jammu and Kashmir. Otherwise, everybody knows what was happening before 2019. A lot of improvement is there in the overall situation. Now, people are expecting progress in every sector. I appreciate the hon. Member that he has asked a very good question.

As per information given by the Jammu and Kashmir Government, the recruitment process is on. It is a fact that some of the posts are vacant. Now, we have also found lithium there, and the auction process for the same is on. Keeping all that in mind, माइनिंग डिपार्टमेंट और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो खाली पद हैं, हम उनकी भर्ती के लिए निवेदन कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में स्थिति अलग है एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसके आंकड़े दिए हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसको प्रमोशन के थ्रू करना है और एलिजिबल कैंडीडेट्स भी नहीं हैं। यह भी एक इश्यू है।

दूसरी बात, यह लेगेसी इश्यू है जो 10-15 वर्षों से है, उनको प्रमोशन देनी पड़ती है, लेकिन आज के दिन एलिजिबल कैंडीडेट्स ही नहीं हैं। इसके कारण बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह शुरू किया है, उसको एक्सपीडाइट करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय को आग्रह करता हूँ। मेरा पूरा आग्रह है, इस सदन में जिन्होंने यह क्वेश्चन उठाया, उनको मैं कहना चाहता हूँ। Mining is the core activity which can add to our economy. Mining sector has given employment to more than 1.14 crore people so far. अगर माइनिंग में एक परसेंट ग्रोथ होती है तो इंडस्ट्री सेक्टर में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 1.4 परसेंट ग्रोथ होती है। It is estimated that one direct job in mining sector creates 10 direct jobs.

सर, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए आप मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। माइनिंग का क्वेश्चन भी बहुत कम आता है और यह आज ही आया है। हमने माइनिंग में बदलाव किया है और केप्टिव, नॉन केप्टिव को हटा दिया है। जो लाइसेंसेस और क्लियरेंसेज हैं, उसका सरलीकरण किया है। एनएमईटी (एनमेट) के थ्रू जो पैसा देते हैं, हम राज्यों को बुला-बुला कर पैसा दे रहे हैं कि आप एक्सप्लोरेशन कीजिए। आप माइनिंग के लिए काम कीजिए। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि कई राज्यों में माइनिंग की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। कई राज्यों में तो ऑक्शन ही शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मेरा सभी राज्यों से आग्रह है और झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना ऑक्शन ही नहीं कर रहे हैं। जहां ऑक्शन हुआ है, वहां बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। उदाहरण के लिए ओडिशा का रेवेन्यू 861 परसेंट बढ़ा है, कर्नाटक का 316 परसेंट बढ़ा है, छत्तीसगढ़ का 623 परसेंट बढ़ा है। मैं ऐसे कई राज्यों का उल्लेख कर सकता हूँ, लेकिन समय की पाबंदी के कारण और समय की लिमिटेशन के कारण मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। Mining sector is the only sector which can directly add to the economy and create jobs.

(1115/VB/SAN)

इसलिए मैं सब से आग्रह करता हूँ, मैं सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूँ कि हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, कृपया रिक्रूटमेंट कीजिए, एक्सप्लोरेशन कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो बदलाव लाये हैं, उससे बड़ी मात्रा में आपके राज्यों के लिए राजस्व प्राप्त हो सकता है। यह मेरी प्रार्थना है।

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, there is a mechanism to spend money from the Mineral Development Fund. The Member of Parliament of the local constituency is also a part of it. Hon. Minister will agree to this.

I would like to say that millions are being spent without following the procedure. I have brought it to the notice of the hon. Minister also. Under the scheme, this money is to be spent in the areas where mining is taking place, but not a rupee out of that Fund is being spent there. I would request the hon. Minister to direct the UT to constitute a committee which would authorise the spending from the Mineral Development Fund and look into whatever has been spent, how it was spent and with whose authorisation it was spent.

माननीय अध्यक्ष : सबका विषय उसी से संबंधित है। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, वही विषय सब के लिए है।

श्री प्रह्लाद जोशी : जी हाँ सर।

डीएमएफ का जो कांसेप्ट लाया गया, वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सत्ता संभालने के बाद शुरू हुआ है। इससे पहले कोई डीएमएफ और एनमेट नहीं था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जो फण्ड इकट्ठा होता है, हर राज्य में जनप्रतिनिधियों को बिना इवॉल्व किये हुए करने की बहुत कोशिश होती रहती है, लेकिन हमने रूल में अमेंडमेंट करके गवर्निंग काउंसिल में मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को इनक्लूड करके भेजा है।

माननीय अध्यक्ष : लेकिन अभी भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बुलाया जाता है।

श्री प्रह्लाद जोशी : सर, मैं वही बता रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सारा सदन इस पर एक मत है।

श्री प्रह्लाद जोशी : क्या सर?

माननीय अध्यक्ष : मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बुलाते हैं।

श्री प्रह्लाद जोशी : सर, मैं वही बता रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं, मैं वही बात बता रहा हूँ।

प्रदेश की जो सरकारें हैं, मैं इस पार्टी और उस पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, वे अपने आप खर्च करना चाहती हैं। इसलिए हमने डायरेक्शन इश्यू किया है। हमने गवर्निंग बॉडी में गाइडलाइन इश्यू की है। गाइडलाइन इश्यू करने के बाद यह कई राज्यों में शुरू हुआ है। इसमें हम और रूल्स को अमेंड करके एमपी और एमएलएज को कम्पल्सरी रूप से इनक्लूड करके गवर्निंग बॉडी में ही अप्रूव करना है, इसको हम कम्पल्सरी बनाने जा रहे हैं। हमने पहले रूल में अमेंडमेंट करके एडवाइज़री दी थी, लेकिन उस एडवाइज़री को वे मान नहीं रहे हैं। इसलिए यदि पार्टिकुलर राज्य सरकार नहीं करती है, तो हम डायरेक्शन और एडवाइज़री इश्यू करते हैं। जहाँ पर अलग-अलग सरकारें हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यह बता दें कि आप रूल कब तक बना देंगे क्योंकि साल भर का समय हो गया है।

श्री प्रह्लाद जोशी : सर, हमने ऑलरेडी रूल बनाया है, लेकिन रूल बनाने के बाद भी, basically mining is a state subject, हम पॉलिसी बनाते हैं, हम कानून बनाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका एक्जिक्यूशन स्टेट में ही होता है। इसलिए सभी एमपीज और एमएलएज को इंवॉल्व करने के लिए हम स्टेट्स को डायरेक्शन इश्यू कर रहे हैं। गवर्निंग बॉडी में एमपीज और एमएलएज को रखकर ही इसे करना है, उसमें अप्रूवल के साथ ही करना है, रूल में अमेंडमेंट करके हम ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, इसलिए सारे संसद सदस्य आपसे अपेक्षा करते हैं।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) : माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर से जो नदी-नाले आते हैं, वे पंजाब होते हुए आगे जाते हैं। उन नदी-नालों में काफी रेत और बजरी भी आती है। जो माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट है, उसमें जो रेत है, वह माइन और मिनरल है। उसको रेगुलेट करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। लेकिन केन्द्र सरकार ने, मंत्री जी के मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एंवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने वर्ष 2016 में सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस इश्यू की थी।

(1120/PC/SNT)

उन गाइडलाइंस के तहत पांच एकड़ से कम का जो एनवायर्नमेंट क्लियरेंस है, वह District Environment Impact Assessment Authority देती है।

अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि जहां से ये नदियां बहती हैं और जहां यह खनन होता है, चाहे वैध खनन होता हो या अवैध खनन होता हो, उससे गांव वाले बहुत त्रस्त रहते हैं। टिपर्स की वजह से उनकी सड़कें टूट जाती हैं और एनवायर्नमेंट में बहुत प्रदूषण होता है, वातावरण खराब होता है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि जो सस्टेनेबिल माइनिंग गाइडलाइंस हैं, उनमें संशोधन करके क्या आप यह प्रावधान कर सकते हैं कि जो आसपास के गांव हैं, जहां इस खनन की अनुमति दी जाती है, वहां उन गांव वालों की अनुमति के बगैर, ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर कोई खनन नहीं हो सकता। इससे वहां का जो वातावरण है, और वहां का उनका जो रहन-सहन है, उनकी जो सड़कें हैं, वे सुरक्षित रह सकें और इस वैध और अवैध खनन की वजह से जो वातावरण प्रदूषित होता है, उससे वे बच सकें।

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the hon. Member is a very learned Member. He himself has mentioned about the minor minerals. ... (*Interruptions*)

Right now, he has asked the question. You are also very learned, Bhartruhari ji. All others are also learned. All Members are learned Members. I have no dispute on that. The point is that he himself has agreed that minor minerals come under the purview of the State Government. हम समय-समय पर गाइडलाइंस इश्यू करते रहते हैं। जहां तक उन्होंने सैंड का इश्यू उठाया है, जो बालू की माइनिंग का इश्यू उन्होंने उठाया है, तो इसमें जो भी माइनिंग होती है, ग्राम सभा द्वारा अप्रूवल करके ही उसे करना एक जनरल गाइडलाइंस है। अगर उसका एक्जिक्यूशन नहीं हो रहा है, इंप्लिमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो हम फिर से एक बार, जो हमने वर्ष 2017 में गाइडलाइंस इश्यू की थी, उनको हम रिवाइज करके फिर से एक बार डायरेक्शंस इश्यू करते हैं।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर – 143, श्री रितेश पाण्डेय जी।

... (व्यवधान)

(प्रश्न 143)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Hon. Speaker, the principle of net neutrality is that all internet traffic should be treated equally without discrimination or preference given to any particular website, service or application.

सर, हाल में टेलिकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एक कनसलटेशन पेपर निकाला था, जिसके निकलने के बाद बहुत ही ज्यादा हलचल हो गई कि कुछ बड़ी कंपनियां यह दबाव डाल रही हैं कि जो भी छोटे ओटीटी प्रोवाइडर्स हैं, उन पर अपनी टेलिकॉम सर्विसेज देने के लिए अलग से चार्जज लगाकर उनसे पैसा लिया जाए।

मेरा प्रश्न यह है कि मैं एक पिछड़े इलाके, अम्बेडकर नगर से आता हूँ। अम्बेडकर नगर में बहुत सारी महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं है। इंटरनेट एक ऐसी चीज है, जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सोशल मोबिलिटी देने का कार्य करता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तो सबको पता है। आप अपना क्वेश्चन पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : अध्यक्ष जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि जब इसके ऊपर अलग से चार्ज लगेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स सोशल मोबिलिटी के लिए जो वेबसाइट्स यूज करते हैं, उनसे चार्जज लेना शुरू कर दिया जाएगा, तो यह ऐसे लोगों के लिए महंगा हो जाएगा।

चाहे जियो हो, रिलायंस हो या टाटा हो, इनकी खुद की बड़ी-बड़ी सर्विसेज हो गई हैं। यह सारा का सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स की तरफ ले जाएंगे। इससे कॉम्पिटिशन के ऊपर भी खासा प्रभाव आएगा। मैं इसके बाद एक सप्लिमेंट्री और पूछूंगा।

क्या इसको रोकने के लिए यह लक्ष्य साफ है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और टीआरएआई ने अपना जो नया कनसलटेशन पेपर निकाला था, उससे जो यह हलचल बढ़ी है, उसको रोका जाएगा? नेट न्यूट्रैलिटी को मेंटेन किया जाएगा? साफ शब्दों में इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताने का कार्य करें। धन्यवाद।

(1125/CS/AK)

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, मान्यवर सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न बहुत पहले डिसाइड हो चुका है। इसमें कोई नयापन नहीं है। वर्ष 2015 में जब सबसे पहले नेटवर्थ को न्यूट्रल करने की जो डिबेट आयी थी, उसके बाद, वर्ष 2015 के बाद में वर्ष 2017 में ट्राई ने रिकमंडेशन दिए थे। वर्ष 2018 में फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, भारत सरकार ने इसको कम्प्लीट एक्सेप्ट करके लाइसेंस की टर्म्स को मोडिफाई किया कि लाइसेंसी किसी भी कन्टेंट प्रोवाइडर को, किसी भी ऐप को, किसी के भी प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। यह एक वेल-स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, जो लागू है। रेगुलरली टेक्निकल ऑडिट्स होते हैं। किसी भी टेक्निकल ऑडिट में अभी किसी के भी प्रति भेदभाव का एक भी विषय नहीं आया है।

महोदय, अगर आप अनुमति दें तो एक बड़ा ही चिंता का विषय है। एकजेक्टली सेम क्वेश्चन, कांग्रेस के श्री मुरलीधरन जी ने सेम वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा, एकजेक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस के श्री विनसेंट एच. पाला जी ने पूछा, एकजेक्टली सेम क्वेश्चन कांग्रेस और शिव सेना के क्रमशः श्री दिग्विजय सिंह जी ने राज्य सभा में और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी ने राज्य सभा में पूछा। आज मान्यवर सदस्य एकजेक्टली सेम वर्ड्स, सेम वर्डिंग के प्रश्न पूछ रहे हैं। यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ... (व्यवधान) एक सेकेंड, मुझे बोलने दीजिए... (व्यवधान) दादा, मुझे बोलने दीजिए... (व्यवधान)

सर, क्वेश्चन डिपार्टमेंट यह साफ कहता है कि अगर तीन-चार मेंबर्स एक प्रकार का सवाल पूछते हैं तो उसका ज्यादा चांस आने के लिए होता है, इसलिए मेंबर्स आपस में भी सवालों को शेयर करते पूछते हैं... (व्यवधान) यह देखा जाता है कि जो-जो सवाल जिन-जिन मेंबर्स के पूछे गए हैं, वे आ जाते हैं... (व्यवधान) यह तो रूल्स के हिसाब से हो रहा है।

महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो एक सेस लिया जाता है, 70 हजार करोड़ रुपये का यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड पड़ा हुआ है। यह खास तौर से नेट न्युट्रैलिटी को भी आगे बढ़ावा देने के लिए है ताकि सभी को मिल सके। 70 हजार करोड़ रुपये का यह फंड कई सालों से पड़ा हुआ है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पर माननीय मंत्री जी यह बताने का कार्य करें कि इस फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है और आगे आने वाले समय में इस फंड का कहाँ पर इस्तेमाल होगा? मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में इस फंड का क्या इस्तेमाल होने जा रहा है? माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, वैसे तो मान्यवर सांसद जी का यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड के जरिये से भारत नेट के माध्यम से करीब-करीब 2 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया है। जिस तरीके से आज ग्रामीण क्षेत्रों में, अनकनेक्टेड क्षेत्रों में 4जी की सर्विसेज पहुँचायी गयी हैं, वह भी यूएसओएफ के माध्यम से पहुँचायी गयी हैं। करीब-करीब 40 हजार गाँव ऐसे थे, जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4जी टावर्स सैक्शन किए हैं और बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Speaker. The hon. Minister's reply says that TRAI recommendations are under consideration in DoT. Now, the recommendations were issued in 2020. How long does it take for DoT to consider these matters? What is impeding is that after three years they are coming to a decision. This is a comment. I want to ask a question. ... (Interruptions) It is supposed to be happening normally within a month or two. This is quite unreasonable. 'Under consideration' can mask various substantive objections, and we would like to know what they are.

We should be aware that the Global Encryption Coalition has already expressed grave concerns about TRAI recommendations, in particular about the consequences of TRAI recommendations for encryption. There are issues of OTT platforms as Ritesh ji has already mentioned involving WhatsApp and signal and other such communication providers.

May I request the Minister to assure us that nothing in your consideration of these recommendations will interfere with the right of the citizens of India to freedom of speech and expression, and their right to privacy while at the same time ensuring it is not detrimental to net neutrality in India. Thank you, Mr. Speaker.

(1130/IND/UB)

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, जो रिक्मेंडेशनस ट्राई ने वर्ष 2020 में दी हैं, उनमें अनविलडी मल्टी स्टेक होल्डर फोरम बनाने की प्रमुख रिक्मेंडेशन है। करीब-करीब ढाई हजार से अधिक लोगों की मेम्बरशिप का अगर कोई फोरम बनता है, तो क्या वह फोरम कुछ कर सकता है या नहीं, इस चीज पर विचार चल रहा था। मोस्ट प्रोबेबली यह रिक्मेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। वर्ष 2015 की जो मेन रिक्मेंडेशनस थीं, वे ऑलरेडी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और उनके ऊपर ऑलरेडी कार्यवाही होकर लाइसेंस की कंडिशनस को ऑलरेडी अमेंड किया जा चुका है और जैसा मैंने स्पष्ट तौर से कहा है कि आज की तारीख में भारत के अंदर नेट न्यूट्रैलिटी का प्रिंसिपल वेल एस्टेब्लिशड है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष जी, हमारे देश में ओटीटी सर्विसेज को मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेगुलेट करती है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी काफी अच्छे तथा महत्वपूर्ण नोटीफिकेशनस और गाइडलाइन्स ओटीटी सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए बीच-बीच में निकालती रहती है। पब्लिक डोमेन में टेलीकॉम का जो ड्राफ्ट बिल है और सरकार जिस पर कंसल्टेशन मांग रही है, इसमें देखा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशनस अपनी पॉवर्स एक्सपेंड कर रही है, उन ओटीटी एनटिटीज को रेगुलेट करने में जो पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट कर रही है। आदरणीय मंत्री जी ने प्रिंसिपल की तो बात की कि नेट न्यूट्रैलिटी प्रिंसिपल पर वर्तमान सरकार विश्वास करती है लेकिन ड्राफ्ट बिल और पेपर में नेटवर्क यूसेज फीस यदि रहेगी तो नेट न्यूट्रैलिटी कैसे रहेगी, इसका विवरण हम बार-बार मंत्री जी से चाहते हैं? यह सवाल रितेश पांडे जी ने किया, लेकिन इसका उत्तर नहीं आया। हम मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि एक संकेत मंत्री जी ने दिया था, एक संकेत मैं भी देना चाहता हूँ। टेलीकॉम सेक्टर में केवल दो मेजर कम्पनीज भारत में रूल कर रही हैं और उनमें से एक कम्पनी तो अपने इशितहार में प्रधान मंत्री श्री मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल करती है। ...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विषय क्या है?

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष जी, संकेत मैं भी देना चाहता हूँ कि यह जो बिल आ रहा है, ओटीटी में बहुत-से भारतीय ओटीटी हैं... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात कही है... (व्यवधान) पहली बात, नेट न्युट्रैलिटी पर जो प्रश्न माननीय सांसद जी ने पूछे हैं या जितने भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन्स आए, मैंने सभी का स्पष्ट तौर पर जवाब दिया है कि नेट न्युट्रैलिटी के प्रिंसिपल को भारत सरकार ने वर्ष 2017 के रिक्मेंडेशन ऑफ ट्राई के बाद में क्लीयरली एक्सेप्ट करके सारे के सारे जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी लाइसेंस कंडिशनस में क्लीयर मोडिफिकेशन करके उस प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया है, फॉलो किया है, टेक्निकल ऑडिट्स समय-समय पर हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह से 2जी वाला जमाना था, मान्यवर सांसद उस जमाने की याद न दिलाएं। जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर को आपकी यूपीए की सरकार के समय टेलीकॉम सेक्टर और विशेषकर बीएसएनएल को जिस तरह से बर्बाद किया था, उसके बजाय आज भारत सरकार मान्यवर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने टेलीकॉम सेक्टर को सनराइज सेक्टर बनाया है... (व्यवधान) आज टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ है, इनवेस्टमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है... (व्यवधान)

मान्यवर अध्यक्ष जी, 5जी का रोल आउट 14 महीने में चार लाख साइट्स अगर आज हुई हैं, तो भारत में हुई हैं और सारी दुनिया कह रही है कि भारत में 5जी का रोल आउट फास्टेस्ट रोल आउट इन दि वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा डिजिटल इन्क्लूजन की बात है, तो वह भारत में है और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के जरिए इन्क्लूसिव ग्रोथ की है... (व्यवधान) माननीय सांसद जी को इन्क्लूसिव ग्रोथ स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि ये स्वीकार नहीं करेंगे तो भी यह देश इन्हें स्वीकार कराएगा।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न-144, डॉ. लोरहो फोज़ा

(प्रश्न 144)

DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): Sir, the Government of India has already converted the Look East Policy into the Act East Policy. As per the answers that we are getting, in 2018, the LCS Moreh which was opened had to be closed again after two years because of COVID-19 and, of course, followed by law and order situation in the neighbouring country.

(1135/SRG/RV)

It is unfortunate. But this misfortune, this setback that we have received during this time should be an opportunity for us to develop our borders. That is because now we are also seeing that on the other side there is no infrastructural development, on the Myanmar side. I think only when we develop, they will also develop. I hope that the Government will look into this matter.

I am very saddened to note the answer. I asked whether the Government has been considering to take actions for materialization of these needs/demands. As regards demands, since 2019 I have been continually raising this issue of developing our borders. I have written letters to all the concerned Ministers including the Prime Minister and also to the Commerce and Industry Minister. Even now, the answer is 'no'. I think it is time that we looked into this aspect. India has so much of potential both for import and also for exports. On the other side, there are so many who are in need. I am sure when we open up our borders, they will also be benefited, and it will mean much return to our own country. The Act East Policy of the Government of India needs to be looking at development of North-Eastern borders.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, I completely understand the sentiment of the hon. Member of Parliament. There are 122 Land Custom Stations that we have across the international borders of India with countries like Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh and China. Of these, 122 ... *(Interruptions)* Let me reply. ... *(Interruptions)* Dada, please have some patience. ... *(Interruptions)* I have just started and you have started interrupting like this. ... *(Interruptions)* Give me an opportunity to reply. ... *(Interruptions)* I am responding to the hon. Member. ... *(Interruptions)* It is an important issue. ... *(Interruptions)* Please let me speak. ... *(Interruptions)* No, if you have any questions ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट क्यों करते हैं? आप प्रश्नों के जवाब दीजिए।

मैं एक विषय से सभी माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य बिना मेरे बुलाए हुए अपने आप उठ कर बोलने लग जाते हैं, उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाती है और बाहर भी नहीं जाती है। वे उठ कर कुछ बोलते हैं और आप उनके साथ डिबेट करने लग जाते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप डिबेट ही क्यों करते हैं? आप उनकी बातों का जवाब ही मत दीजिए।

... (व्यवधान)

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, there are 122 Land Custom Stations that we have established across India's international borders.

माननीय अध्यक्ष : आपको मैं एक और बात बता देता हूँ। उनकी बातें न तो रिकॉर्ड में आती हैं, न ही टीवी पर आती हैं, ये बस इसी कैम्पस में खड़े होते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टीवी में तब आता है, जब मैं किसी को बोलने के लिए कहता हूँ।

... (व्यवधान)

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, of these 122 Land Custom Stations, there are 44 which lie in the North-Eastern region. Of these 44, there are three LCSs along Indo-Myanmar border which have been established. The hon. Member has stated that our reply says that no demand has come from the State which is true. The State Government has not raised any demand for the creation of additional Land Custom Stations. Yes, there has been a lot of correspondence from the year 2017 onwards. We have had several correspondences from the ex-Secretary of the North-Eastern Council and also the Member of Parliament in 2022. We responded to the Secretary, North Eastern Council also at that time initially when he wrote the first letter in 2017 that we are considering the construction of Border Haats. He wrote a few more letters after that, and we tried to get in touch with the Chief Secretary of the State of Manipur asking them to understand the feasibility or the desirability of creating more Land Custom Stations and also the trade prospects, but no response was received. Hence, we have stated in our reply that the State Government has not raised any demand for the creation of additional Land Custom Stations.

I would also like to state here that insofar as the creation of additional Land Custom Stations is concerned, we already have three major borders points at Moreh, Zokhawthar and at Nampong in Arunachal Pradesh. But on the

corresponding side of Myanmar there is a lot of political turbulence and there is a political crisis, so they are very inactive. We shall be happy to consider it only when we also have the consent of the neighbouring countries because when it comes to creation of additional Land Custom Stations, there are several factors which have to be taken into consideration.

(1140/RCP/GG)

In those, the consent of the neighbouring country is very important. Apart from that, the prospects of trade, inter-Ministerial consultation and also the export infrastructure or communication, banking, a lot of such facilities, whether they exist, all those factors are a prerequisite before deciding. Many Departments come into play. It is not just the Ministry of Commerce but also the Department of Revenue, the Ministry of External Affairs and the Ministry of Home Affairs.

DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): Sir, I have understood whatever the Minister has said. In Arunachal, 1962 was the year when it was closed. Now, it is already more than 60 years. I would like to know whether the Government has no interest in reviving that. This is because I think that when there is no interest from our side ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ओके, माननीय मंत्री जी, उत्तर दें।

... (व्यवधान)

DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): Sir, there is one more question.

माननीय अध्यक्ष : अभी आपने पूछ लिया है कि सन् 1962 से चालू करना चाहते हैं, हाँ या ना मंत्री जी जवाब दे दें हाँ या ना यहां पर कभी तो हाँ या न में जवाब दो? सभी इतना लंबा जवाब देते हैं।

मंत्री जी, इनको बताओ और हाँ-न में जवाब दीजिए।

... (व्यवधान)

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, as I said before, the Government stands committed to the Act East Policy. We do want to increase our bilateral trade with the neighbouring countries. Our bilateral trade with Myanmar in the year 2022-23 stood at 1.76 billion dollars. We all understand the political turmoil in the country, the state of emergency and all that is happening. These situations are not conducive to trade, and there is a low interest among traders as well. So, in Nampong, it was made in 1962. It has been non-functional. But we have also created a border haat. On both sides on Nampong and Pangsau Pass, all

the infrastructure is ready. But there has to be a willingness from the opposite side also. Only then we can start functioning.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से और सबको सदन में यह कहना चाहता हूँ कि प्रश्न काल केवल एक घंटे का होता है और प्रश्न 20 होते हैं। प्रश्न पूछने वाले भी बहुत बड़ी-बड़ी भूमिका बांध देते हैं और माननीय मंत्री जी उससे बड़ी भूमिका बांध देते हैं। ऐसे में हम कैसे 20 प्रश्नों को पूर्ण कर पाएंगे? सदन में अपना टारगेट तो 20 प्रश्नों का होना चाहिए। मैं दोनों तरफ बैठे सभी सदस्यों से कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ और इधर भी कह रहा हूँ।

श्री तापिर गाव जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक प्रश्न पूछो – यस ऑर नो, बात खत्म हो गयी।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, जवाब के लिए बड़े मंत्री जी को कहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बड़े मंत्री जी तो और बड़ा जवाब दे देंगे।

... (व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): ऑनरेबल स्पीकर सर, आउट ऑफ 44 बॉर्डर ट्रेड में, पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में एक ही है और वह नामपोंग में है। यह नामपोंग, सन् 1942 से पहले, स्टीलवेल रोड, डिग्बोई से ले कर साइनाकुमिंगटॉन्ग तक है और अभी भी वह रास्ता एग्जिस्टिंग है। मेरा संसदीय क्षेत्र नामपोंग में है। सन् 1962 से नहीं, कोविड से पहले बॉर्डर ट्रेड वहां बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। कोविड के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी लेटर लिखा, हमने भी लेटर लिखा, डेलिगेशन भी आ कर मिले। म्यांमार भी चाहता है कि वह बॉर्डर ट्रेड शुरू हो। इसलिए अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार को भी इसको देखना चाहिए कि पहले म्यांमार और नामपोंग में इंडियन ट्रेड अच्छे से चल रहा था। कोविड के बाद से बंद पड़ा हुआ है।

मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि इस बॉर्डर के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर रखा हुआ है, म्यांमार ने भी बनाया है, इंडिया ने भी बनाया है, उसको अलाऊ करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री से पहल कर दीजिए। Both the countries will benefit. इस पर आपकी क्या राय है?

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, I would like to inform the hon. Member that he probably does not have the correct information. We have a Land Custom Station at Nampong in Arunachal Pradesh. Infrastructure is ready. The custom officials also have an additional charge. But corresponding Nampong, on the Myanmar side, we do not have a Land Custom Station. However, India and Myanmar signed an MoU on border haat. The border haat is ready. The Nampong, Pangsau Pass border haat is ready. But the modes of operation still are being worked out. Once they are ready, we can start those operations. But on LCS, there is no corresponding infrastructure on the Myanmar side.

(ends)

(1145/MY/PS)

(Q. 145)

प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी तरह से उत्तर रखा है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मुझे जानकारी है कि 142 kilometres of Dasapalla-Khurda railway line has been commissioned. दशपल्ला वासियों को कब तक रेल सेवा उपलब्ध होगा? मुझे एक और जानकारी चाहिए। I would also like to know whether the Government has any plan to introduce direct superfast train between Puri Railway Station and Shri Mata Vaishno Devi Katra Railway Station, connecting two places of religious importance.

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बैकग्राउण्ड में फूलबानी जिला एक बहुत ही सुंदर जिला है। वहां बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है। वह करीब पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र है। वहां की कनेक्टिविटी के लिए रेढ़ाखोल से गोपालपुर का एक प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार की एक कंपनी ओआरआईडीएल है। इस कंपनी के जरिए यह प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। मैं माननीय सांसद महोदय से भी कहूंगा कि फूलबानी जिले की जो कनेक्टिविटी है, उसके लिए राज्य सरकार से संपर्क करके काम कराए। हमारे यहां से भी रिक्मेंडेशन जाएगा कि ओआरआईडीएल ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वापस राज्य सरकार के पास भेजे, ताकि फूलबानी जिले को भी उसमें कनेक्टिविटी मिले।

माननीय सांसद महोदय ने दूसरी बात दशपल्ला के बारे में बोला है। खुर्दा-बोलांगीर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो 40-45 वर्षों से पेंडिंग था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो काम किया है, उस 40-45 वर्ष पुराने प्रोजेक्ट पर आज तेजी से काम चल रहा है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खुशी की बात है, मैं मान्यवर भूपेन्द्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी मदद से सारे इश्यूज रिजॉल्व हुए और काम तेजी से चल रहा है। 40-45 वर्षों से लंबित कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरी हो जाएगी।

प्रो. अच्युतानंद सामंत (कंधमाल): सर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। कंधमाल जिला एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। फूलबानी उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। उसके लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी उसका डीपीआर तैयार हो चुका है। माननीय मंत्री जी

उसको थोड़ा स्पीड अप करेंगे और कंधमाल वासियों के सपनों को साकार करेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि दशपल्ला वासियों को कब तक ट्रेन सेवा उपलब्ध होगा?

श्री अश्वनी वैष्णव: मान्यवर अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा, यह जो डीपीआर ओडिशा सरकार से आई है, उसको अभी हम ओडिशा सरकार के पास रिटर्न करेंगे, ताकि कंधमाल जिले को उसमें इंकलूड कर सकें। अभी उसमें इंकलूड नहीं है। उसके लिए हम डीपीआर को राज्य सरकार के पास रिटर्न करेंगे।

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Hon. Speaker, Sir, as far as Karnataka is concerned, there are about 20 sanctioned railway projects, and some of them are still on the paper. One such project is the Hejjala-Chamarajanagar railway line entailing new line of 142 kilometres. Though it was approved in 1997-98, but after 25 years, the physical progress of the said project is still nil.

I would like to know from the hon. Minister the present status of the project and if there are any concrete steps being taken towards this.

श्री अश्वनी वैष्णव: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके जरिए रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में मोदी जी ने रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। करीब 26 हजार किलोमीटर नए ट्रैक्स बने हैं। आज नए ट्रैक्स बनने की जो गति है, वह करीब 12-13 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब नए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए होता है, विशेष कर लैंड एक्विजिशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और भी कई तरह के अप्रूवल्स व परमिट्स हैं, उसमें भी राज्य सरकारें सहयोग करती हैं।

(इति)

(1150/SMN/CP)

(Q.146)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I specifically asked a written question to the Ministry that whether the Ministry has plans to offer nutrient-dense options like millets and sea food in the PDS Scheme. The reason I have asked this has two dimensions. One is, in the NITI Aayog paper in 2019, it said they are working on giving Government subsidies on protein-rich foods like sea food in the PDS Scheme and the second is, the Government is also giving a lot of impetus to the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So, keeping these two things in mind, I have asked this question. But somehow, there is no mention of sea food in the whole answer. Again, through you, Sir, I am asking it in this House whether the Government is looking to include nutrient-rich foods like sea foods to mitigate stunting, underweight and iron deficiency in the children of this country.

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य का जवाब दूँ, इसके पहले माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहती हूँ। जो गरीबों का भोजन माना जाता था, रागी, बाजरा, ज्वार, अधिकांश गांव के लोगों का भोजन था, जिसमें आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने फिश के लिए कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि राज्य सरकारें जो भी फूड खाद्यान्न में जोड़ना चाहें, वे उन्हें जोड़ सकती हैं। उन्होंने फिश के लिए कहा है। यह राज्य सरकारों का विषय है, वे इसे जोड़ सकती हैं।

माननीय अध्यक्ष : राज्य सरकार कैसे जोड़ सकती है?

माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): यह देश के लिए गर्व की बात है कि अब गरीबों को पैसे से अनाज नहीं खरीदना पड़ता है। 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क उनकी जरूरत के खाद्यान्न, फूडग्रेन्स, केन्द्र सरकार देश भर में पूरी तरह से उपलब्ध कराती है, आपके राज्य में भी उपलब्ध कराती है। जहां तक और चीजें जोड़ने की बात है, स्वाभाविक रूप से दो लाख करोड़ रुपये से अधिक केन्द्र सरकार गरीबों की चिन्ता में खर्च कर रही है। इसके अलावा अगर कुछ और जोड़ने की इच्छा अलग-अलग राज्यों की हो, तो राज्यों को पूरी छूट है।

केन्द्र सरकार का जहां तक सवाल है, हमने यह छूट दे रखी है कि वह मोटा अनाज, श्रीअन्न, कोर्सग्रेन या मिलेट्स, अगर चावल और गेहूं के बदले देना चाहें तो उसको स्वॉप किया जा सकता है। उसको राज्य सरकार खरीदे या एफसीआई को आर्डर देकर खरीदवाये, वह उसे स्वॉप कर सकती है... (व्यवधान) आज की तारीख में अन्य कोई पदार्थों को जोड़ने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के

सामने नहीं है। मेरे ख्याल से जो सामान्य जरूरतें हैं, वे फूडग्रेन के माध्यम से गरीबों की पूरी की जा रही है। यह भी बहुत बड़ी राहत है। हमने कोविड के समय में भी इसे देखा। इसको दोगुना करके आज पूरे देश को यह संतुष्टि है कि एक भी व्यक्ति भुखमरी के कारण नहीं मरता है। बाकी वस्तुओं में अलग-अलग प्रदेश स्वेच्छा से काम कर सकते हैं।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, still I do not understand how State Governments can include because this is a paper that has been put up by the NITI Aayog itself in 2019.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप क्या चाहते हैं?

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I am coming to the next question.

माननीय अध्यक्ष : गेहूं, चावल और मोटे अनाज के अलावा इसको भी दें, क्या आप यह चाहते हैं?

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): That was the proposal that has been put up by the NITI Aayog and not by the State Government.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: सर, लगता है कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गेहूं और चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। इनका इससे कुछ विरोध है... (व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I am not against that. I am saying that in NITI Aayog Report, it was recommended to include these protein-rich foods. That is why, I am asking your recommendation to implement it. I am not asking something else.

श्री पीयूष गोयल: नीति आयोग का काम है कि नये-नये विचारों के ऊपर वह अपने विचार व्यक्त करे और गहराई से, गम्भीरता से स्टडी करके अपने विचार रखे। ऐसे कई विचार वे राज्य सरकारों को भी देते हैं, कई विचार हमारे समक्ष भी आते हैं। उस पर समय-समय पर उपयुक्त विचार करके केन्द्र सरकार को निर्णय लेना होता है। प्लानिंग कमीशन का पहले के जमाने में, पुरानी सरकारों के जमाने में चलता था कि हर राज्य को प्लानिंग कमीशन के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, हर योजना के लिए नीति आयोग यानी उस समय के प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल लगती थी, वह जमाना खत्म हो गया। ... (व्यवधान) अब राज्य सरकारें स्वेच्छा से काम कर सकती हैं। उनको अपने बजट में जो इच्छा हो, वह करने की पूरी छूट है। प्लानिंग कमीशन का अब कंट्रोल खत्म कर दिया गया है... (व्यवधान) उनको सुझाव को सुझाव के रूप में देखना चाहिए... (व्यवधान) यह आदेश नहीं होता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ए. राजा जी।

... (व्यवधान)

(1155/NK/SM)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I may be permitted to ask my question in Tamil. Then it will reach to the people of my constituency.

माननीय अध्यक्ष: इसमें तमिल भाषा का इंटरप्रेटेशन है, इसमें तमिल भाषा आएगी।

... (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I will ask in English

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बटन दबाइए, तमिल भाषा आएगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप थोड़ा रुकिए, आप जल्दी क्यों कर रहे हो?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीकृष्णा देवरायालू जी, आप बैठ जाइए, आपने सप्लीमेंटरी पूछ लिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ए. राजा जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन नहीं चला रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ए. राजा जी।

... (व्यवधान)

*SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Hon Speaker Sir. Tea plantation is an important occupation in my Nilgiris Parliamentary constituency. Hon. Minister is looking after Commerce and Consumer Affairs Departments together. That's why I ask this question. Tea grown in Nilgiris parliamentary constituency and also throughout India do not get remunerative prices. There is no adequate procurement. To address this issue, if you add tea in the Public Distribution System, it will help the producers, cultivators and the procurement agencies. I wish to get a good answer.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, to get a good answer, you need to ask a good question. The question is related to Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. The question is related to nutrient-dense options like millets and sea foods and about some recommendations that the hon. Member has mentioned.

I do not know whether our hon. colleague who has been the Minister himself has understood this or not. The Parliamentary Affairs Ministry should consider if we

(pp. 21-30)

could translate the question also into different languages for the Members so that they can understand what the question is.... (Interruptions)

He is welcome to my chamber. I welcome Shri Raja for a cup of coffee.... (Interruptions) In fact, I will be happy to serve him Nilgiri tea.... (Interruptions) I am promoting Nilgiri tea across the world. The People who come to my office from all over the world enjoy the Nilgiri tea.... (Interruptions) I give them beautifully packed Nilgiri tea, Chikmagalur tea, Darjeeling tea, Assam tea.... (Interruptions) I give it to the people coming from all over the world.... (Interruptions) In fact, only yesterday, I had visitors from four countries – Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein.... (Interruptions) I served them tea and coffee made by India and offered them Nilgiri tea as a return gift.... (Interruptions) So, we are the brand ambassador of Nilgiri tea.... (Interruptions) I wish the hon. MP would also make some effort to support the tea growers of Nilgiris... (Interruptions)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न करने की अनुमति दी है। मिलेट्स श्रीअन्न के नाम से जाना जाता है जैसे, बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सुझाव पर यूनाइटेड नेशन्स ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के नाम पर घोषित किया है। प्रश्न यह है कि यहां जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें हम गेहूँ और चावल ही देते हैं। क्यों नहीं श्रीअन्न भी दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग श्रीअन्न खाते हैं। इसमें पौष्टिकता भी ज्यादा होती है, मिनरल्स और विटामिन भी ज्यादा होती है। क्लाइमेज चेंज के लिए भी यह फ्रेंडली है, इसे कम्पलसरी दिया जाए। क्या इसके लिए भारत सरकार से आदेश जाएगा?

(1200/SK/RP)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब से श्री अन्न योजना लागू की है, इससे मांग भी बढ़ी है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप यह बताएं कि इसे लागू किया गया है या नहीं?

... (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति: इसे लागू किया गया है।

माननीय अध्यक्ष: बारह बज गए हैं। प्रश्न काल समाप्त।

... (व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

...(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

मद संख्या 2, श्री किरिन रिजूजी।

THE MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 2022-2023.
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ocean Technology, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ocean Technology, Chennai, for the year 2022-2023.
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023.
- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad, for the year 2022-2023.
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Polar and Ocean Research, Vasco-da-Gama, for the year 2022- 2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Polar and Ocean Research, Vascoda-Gama, for the year 2022-2023.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस - आधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस - आधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) (एक) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंटरनेशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) रामन अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामन अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (33) (एक) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 864(अ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण और मूल्यांकन) नियम, 2023 जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.862(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 (दो) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.863(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (36) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (क) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 (ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 (ग) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

पंद्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 1. | विवरण सं. 38 | पांचवां सत्र, 2010 |
| 2. | विवरण सं. 32 | बारहवां सत्र, 2012 |

सोलहवीं लोक सभा

- | | | |
|-----|--------------|----------------------|
| 3. | विवरण सं. 32 | दूसरा सत्र, 2014 |
| 4. | विवरण सं. 32 | चौथा सत्र, 2015 |
| 5. | विवरण सं. 28 | पांचवां सत्र, 2015 |
| 6. | विवरण सं. 27 | छठा सत्र, 2015 |
| 7. | विवरण सं. 27 | आठवां सत्र, 2016 |
| 8. | विवरण सं. 22 | दसवां सत्र, 2016 |
| 9. | विवरण सं. 24 | ग्यारहवां सत्र, 2017 |
| 10. | विवरण सं. 24 | बारहवां सत्र, 2017 |
| 11. | विवरण सं. 18 | चौदहवां सत्र, 2018 |
| 12. | विवरण सं. 17 | सोलहवां सत्र, 2018 |
| 13. | विवरण सं. 17 | सत्रहवां सत्र, 2019 |

सत्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|-----|--------------|--------------------|
| 14. | विवरण सं. 20 | पहला सत्र, 2019 |
| 15. | विवरण सं. 16 | दूसरा सत्र, 2019 |
| 16. | विवरण सं. 15 | तीसरा सत्र, 2020 |
| 17. | विवरण सं. 15 | चौथा सत्र, 2020 |
| 18. | विवरण सं. 15 | पांचवां सत्र, 2021 |
| 19. | विवरण सं. 14 | छठा सत्र, 2021 |
| 20. | विवरण सं. 8 | सातवां सत्र, 2021 |
| 21. | विवरण सं. 8 | आठवां सत्र, 2022 |
| 22. | विवरण सं. 5 | नौवां सत्र, 2022 |

23.	विवरण सं. 3	दसवां सत्र, 2022
24.	विवरण सं. 3	ग्यारहवां सत्र, 2023
25.	विवरण सं. 1	बारहवां सत्र, 2023

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय अध्यक्ष जी, श्री फगन सिंह कुलस्ते जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 (दो) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) एमएसटीसी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (च) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 (दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) एमएसटीसी लिमिटेड (कन्सोलिडेटेड) तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 (तीन) मेकोन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 (चार) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 (पांच) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-2025 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) आणविक खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.682(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) सा.का.नि.736(अ) जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की उसमें उल्लिखित दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज के सिवाय) रियायत (संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि.737(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (ओपन लाइन्स) सामान्य (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.870(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नालको लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) हासन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बेंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हासन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बेंगलोर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एनआरटीयू फाउंडेशन, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एनआरटीयू फाउंडेशन, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) रेल सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेल सूचना प्रणाली केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) विशेष आर्थिक क्षेत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 1 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 334(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विशेष आर्थिक क्षेत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 5 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 481(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विशेष आर्थिक क्षेत्र (चौथा संशोधन) नियम, 2023 जो 7 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 824(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 2023 जो 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) शेलाक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) (पूर्ववर्ती शेलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) (एक) सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (8) (एक) फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकॉन्सिल), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्लेक्सकॉन्सिल), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (11) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (12) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (13) (एक) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो-इन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi, for the year 2022-2023.
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the ManMade Textiles Research Association, Surat, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Man-Made Textiles Research Association, Surat, for the year 2022-2023.
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2022-2023.
- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management, Coimbatore, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management, Coimbatore, for the year 2022-2023.
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ahmedabad Textile Industry's Research Association, Ahmedabad, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ahmedabad Textile Industry's Research Association, Ahmedabad, for the year 2022-2023.
- (6)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Jute Industries Research Association, Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Jute Industries Research Association, Kolkata, for the year 2022-2023.
- (7)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bombay Textile Research Association, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bombay Textile Research Association, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (8)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Research Association, Thane, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool Research Association, Thane, for the year 2022- 2023.
- (9)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2022-2023.
- (10)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Northern India Textiles Research Association, Ghaziabad, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts. (
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Northern India Textiles Research Association, Ghaziabad, for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Notification No. S.O.4255(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 29th September, 2023, prohibiting the manufacture, possession and import of the electric detonator throughout the country with effect from the 1st day of April, 2025 issued under sub-section (1) of Section 6 of the Explosives Act, 1884.
- (2) A copy of the following notifications (Hindi and English versions) issued under Section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-
 - (i) The Bottled water dispensers (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4647(E) in Gazette of India dated 25th October, 2023.
 - (ii) The Helmet for Police Force, Civil Defence and Personal Protection (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4649(E) in Gazette of India dated 25th October, 2023.
 - (iii) The Legal Metrology – material measures of Length (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.5029(E) in Gazette of India dated 23rd November, 2023.
 - (iv) The Steel Wires or Strands, Nylon or Wire Ropes and Wire mesh (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.5022(E) in Gazette of India dated 22nd November, 2023.
 - (v) The Door Fittings (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4646(E) in Gazette of India dated 25th October, 2023.
 - (vi) The Drums and Tins (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4596(E) in Gazette of India dated 20th October, 2023.
 - (vii) The Copper Products (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4595(E) in Gazette of India dated 20th October, 2023.
 - (viii) The Precision Roller and Bush Chains, attachments and associated chain sprockets (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4242(E) in Gazette of India dated 27th September, 2023.
 - (ix) The Miscellaneous Steel Products (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4240(E) in Gazette of India dated 27th September, 2023.

- (x) The Aluminium and Aluminium Alloy Products (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4241(E) in Gazette of India dated 27th September, 2023.
- (xi) The Self-Contained Drinking Water Cooler (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4243(E) in Gazette of India dated 27th September, 2023.
- (xii) The Flux Cored Solder Wire (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4092(E) in Gazette of India dated 18th September, 2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Indian Post Office (Fifth Amendment) Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.809(E) in Gazette of India dated 31st October, 2023 under Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898.
- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (a)
 - (i) Review by the Government of the working of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.
 - (ii) Annual Report of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (b)
 - (i) Review by the Government of the working of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2022-2023.
 - (ii) Annual Report of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (c)
 - (i) Review by the Government of the working of the India Post Payment Bank, New Delhi, for the year 2022-2023.
 - (ii) Annual Report of the India Post Payment Bank, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA – LAID**

1203 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

- (1) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 11th December, 2023 agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th December, 2023."
- (2) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 11th December, 2023 agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th December, 2023."
- (3) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 12th December, 2023."

Sir, I lay on the Table the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023, as passed by Rajya Sabha on the 12th December, 2023.

**STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS,
FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
35th Report**

1203 hours

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I beg to present the Thirty-fifth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2023-2024) on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Thirty-first Report on the subject – ‘Coarse Grains Production and Distribution’ pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

**STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN,
CHILDREN, YOUTH AND SPORTS
357th to 359th Reports**

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports:

- (1) 357th Report on Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 351st Report on ‘Demands for Grants 2023-24 of the Ministry of Youth Affairs & Sports’.
- (2) 358th Report on ‘Research based Education and Anusandhan scenario in Sciences and related fields’.
- (3) 359th Report on ‘Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations contained in the 350th Report on Demands for Grants 2023-24 of the Ministry of Women and Child Development’.

1204 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

**STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 332ND, 347TH, 364TH, 372ND AND 379TH REPORTS OF
STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY,
ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE – LAID**

1204 hours

THE MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI KIREN RIJJU): I beg to lay the following statements regarding: -

- (1) the status of implementation of the recommendations contained in the 332nd Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-2021) (Demand No. 23) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.
- (2) the status of implementation of the recommendations contained in the 347th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2021-2022) (Demand No. 23) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.
- (3) the status of implementation of the recommendations contained in the 364th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2022-2023) (Demand No. 24) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.
- (4) the status of implementation of the recommendations contained in the 372nd Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 364th Report of the Committee on Demands for Grants (2022-2023) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.
- (5) the status of implementation of the recommendations contained in the 379th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2023-2024) (Demand No. 24) pertaining to the Ministry of Earth Sciences.

(1205/KDS/NKL)

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 384TH REPORT OF STANDING COMMITTEE
ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND
CLIMATE CHANGE – LAID**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Chairperson Sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 384th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 377th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Space.

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य- सभा पटल पर रखा गया

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, श्री फगनसिंह कुलस्ते जी की ओर से मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

(i) रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन
और

(ii) कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 30वें और 38वें
प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में
वक्तव्य-सभा पटल पर रखे गये

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण का कार्यनिष्पादन' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 43RD REPORT OF
STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION
TECHNOLOGY – LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Hon. Chairperson Sir, in pursuance of
Direction 73A of the Directions by the hon. Speaker, Lok Sabha, I rise to lay
a statement regarding the status of implementation of the
recommendations/observations contained in the 43rd Report of the Standing
Committee on Communications and Information Technology on Demands
for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of
Telecommunications, Ministry of Communications.

समितियों के लिए निर्वाचन (i) प्राक्कलन समिति

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

“ कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। ”

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : प्रश्न यह है :-

“ कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

“ कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। ”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :-

“ कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने 6 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1210/MK/MMN)

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

1210 बजे

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि सभा द्वारा 24.06.2019 को स्वीकृत प्रस्ताव में अंतर्विष्ट क्रम सं. 7 में अंतर्विष्ट है, की मद के पैरा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य लोग सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री बालक नाथ जिन्होंने 7 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। ”

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): प्रश्न यह:

“कि सभा द्वारा 24.06.2019 को स्वीकृत प्रस्ताव में अंतर्विष्ट क्रम सं. 7 में अंतर्विष्ट है, की मद के पैरा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य लोग सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री बालक नाथ जिन्होंने 7 दिसम्बर, 2023 से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्य मंत्रणा समिति**46वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव**

1211 बजे

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

MOTION RE: 47TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1212 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I rise to move the following:-

“That this House do agree with the Forty-seventh Report of the Business
Advisory Committee presented to the House on 12th December, 2023.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि यह सभा 12 दिसम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 47वें
प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: आइटम नम्बर- 26, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) BILL

1213 hours

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill
further to amend the Central Goods and Services Tax Act, 2017.

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central
Goods and Services Tax Act, 2017.”

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under rule 71, I oppose the introduction of
the Central Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill. This relates to raising
the age of the tribunal’s judges in the Customs, Excise and Service Tax Appellate
Tribunal, the State Value Added Tax Tribunal, etc. The age in one of the tribunals is
being raised from 67 years to 70 years. There is no reason why this should be raised.
In the other, the age of retirement is sought to be raised from 65 years to 67 years.
This is absolutely unnecessary. These may have been effected to favour some
people who are getting appointments. This is what is called ‘trivial legislation’. There
is no need for that. ... (*Interruptions*) That is why, the Minister, instead of bringing in
such trivial legislation, should look into the matter of inflation. The food prices in
November have risen to 3.5 per cent. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक
को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: चर्चा में जवाब हो जाएगा। Let it be left to the hon. Minister.

माननीय मंत्री जी, आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर- 27, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

PROVISIONAL COLLECTION OF TAXES BILL

1214 hours

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the immediate effect for a limited period of provisions in Bills relating to the imposition or increase of duties of customs and excise.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the immediate effect for a limited period of provisions in Bills relating to the imposition or increase of duties of customs and excise.”

(1215/VR/SJN)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, under Rule 72 (1), I would rise to oppose the introduction of the Provisional Collection of Taxes Bill, 2023 on the ground that the Bill clearly violates the provisions of Article 265 of the Constitution.

Madam, for your convenience, Article 265 provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law. An interim arrangement to collect tax cannot be made under the present Constitution unless Article 265 is suitably amended. The fact is that the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 was enacted when there was no such provision in the Government of India Act, 1919.

Sir, I would request the Government to at least reconsider the introduction of the Bill because it clearly violates the enshrined Article 265, and do not try to shut the Opposition up. While introducing a Bill, the Government wants to shut the Opposition up. In each and every issue, our voices are not heard properly.

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, मैं आपकी अनुमति से जवाब देना चाहती हूँ।

Sir, first of all, there is no attempt to shut up any voice, and not certainly of Shri Adhir Ranjan Chowdhury's voice.

Sir, what this Bill brings in is exactly what existed earlier in the Provisional Collection of Taxes Act, 1931. The reference that is made to 1931 incorporates the existing provisions of the very same 1931 Act. There is no newness. In general, I am sure the hon. Members are quite aware of why this Bill exists and why it gets invoked sometimes. I would just elaborate on that, and it is not to say that Members do not understand, but for the common sense understanding of this is – and I am just giving a very generic example – assume if in the Finance Bill we bring in some kind of a tax proposal to the House and that gets announced, obviously in the House and to all the hon. Members, but the Financial Year, by which the Finance Bill gets passed and everything else comes to force, starts from 1st of April, and if there are critical announcements made on Customs or any other tax, then much before the Bill is passed by this House, it is already out there. So, it can lead to a lot of speculations, which by invoking this particular Act, we are able to ‘temporarily’ – that is the word here – deal with it till such a time it gets passed. After it is passed, it gets regularized. But if it does not get passed, obviously we will go back to say ‘no’. So, this is only to make sure that there are no speculative activities happening because it has become a part of the Finance Bill, which gets announced when the Budget proposed. This is existing from that 1931 Act. I am not bringing anything new. It is exactly the same thing.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : प्रश्न यह है :

“कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगाने या उनमें वृद्धि करने से संबंधित विधेयकों में उपबंधों की सीमित अवधि के लिए तत्काल प्रभाव हेतु उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित करें।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

माननीय सभापति : अब शून्य काल।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, एक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है।

माननीय सभापति : जीरो ऑवर चलने दीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, जीरो ऑवर में आपका नाम नंबर वन पर है, लेकिन आप ही आसन पर बैठे हुए हैं, तो कैसे होगा?

माननीय सभापति : कोई बात नहीं, उसको बाद में करेंगे। मैं यहां से तो नहीं बोल सकता हूं।

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It is not allowed.

....(Interruptions)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, आपका नाम बैलेट में नंबर वन पर है और आप ही आसन पर बैठे हुए हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मुझे बाद में अवसर मिल जाएगा।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी।

... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : आप देश की अवस्था पर अपनी बात रख सकते हैं।... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : महोदय, मुझे प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाने का मौका दिया जाए।

माननीय सभापति : क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है?

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : महोदय, अभी-अभी प्रश्न काल में माननीय मंत्री जी ने कुछ मेंबर्स के ऊपर ये लांछन लगाया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं-नहीं।

... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : महोदय, आप उसको चेक करवाकर हटवाइए।... (व्यवधान)
कुछ पूर्व राज्य सभा मेंबर्स के भी नाम लिए गए हैं।... (व्यवधान)
उसको चेक करवाकर हटवाइए।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go in record.

....(Interruptions) ... (Not recorded)

*लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

1219 बजे

माननीय सभापति : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I would request the hon. Railway Minister that during the time of COVID-19, जो ये सीनियर सिटीजन्स या ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनको जो छूट दी जाती थी, उनको रेलवे में कन्सेशन मिलता था, वह कोविड के कारण बंद कर दिया गया था। इस देश के जो ज्येष्ठ नागरिक हैं, ट्रेन का टिकट बुक करते समय महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट दी जाती थी और पुरुषों को 40 प्रतिशत छूट दी जाती थी।

(1220/SPS/SAN)

उस समय कहा था कि जब कोविड खत्म हो जाएगा, रेलवे ठीक हो जाएगा तो फिर से वह कन्सेशन शुरू करेंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन्स का रेल का कन्सेशन अभी भी बंद है। आप एक तरफ बुलेट ट्रेन्स और पता नहीं कौन-कौन सी नई ट्रेन्स चलवा रहे हैं, अगर उनके पास इतना पैसा है तो ज्येष्ठ नागरिकों का जो हक है, जिनके कारण हम सब यहां खड़े हैं, उनकी मेहनत से यह देश 25-30 साल चला है, उनका जो ट्रेन का कन्सेशन है, वह सीनियर सिटीजन्स को फिर से शुरू किया जाए।

श्री अनुराग शर्मा (झांसी) : सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोविड से अभी तक हम सभी को मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया था और मोदी जी की गारंटी है कि अगले पांच साल भी विशेष रूप से इसको बढ़ाया जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन था कि मैं अत्यंत ही आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आता हूं और विशेष रूप से झांसी और ललितपुर से आता हूं। हमारे यहां तकरीबन 79 परसेंट प्रतिशत जनसंख्या को यह राशन दिया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको 85 परसेंट कर दिया जाए और विशेष रूप से ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया जाए। अगर इसको मेरे ऐस्पिरेशनल ब्लॉक्स में बढ़ा दिया जाएगा तो हमारे यहां सौ प्रतिशत लाभ होगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी जी का यह राशन हर जगह वितरित हो जाए। अगर विशेष रूप से देखा जाए तो बड़ागांव, चिरगांव, बबीना, गुरसराय, मऊरानीपुर, बंगरा, बार, तालबेहट, जखौरा, महारौली मड़ावरा जैसे क्षेत्रों में अगर यह 4 से 5 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा तो मेरे यहां प्रधान मंत्री जी की मंशा से सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह था।

सभापति महोदय, दूसरा आग्रह यह था कि हमारे कुछ क्षेत्रों में, जहां पर चावल कम खाया जाता है, अगर उसकी जगह श्री अन्न दे दिया जाए तो लोगों को पोषण में बहुत फायदा होगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सर, आपका भी समय अब हमें मिल गया। मैं एक ऐसे विषय को उठा रहा हूं, जिससे पूरा सदन जुड़ेगा। बिहार की आबादी 14 करोड़ है। मैं बिहार की चिंता हमेशा इस सदन में पेश करता हूं। क्या बिहार में होनहार बच्चे नहीं हैं? क्या बिहार में कामयाब बच्चे नहीं हैं? क्या बिहार में देश के शानदार बच्चे नहीं हैं? पिछले 75 वर्ष में बिहार में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं

बना है, जिसमें बच्चे खेल सकें। आज बिहार के बच्चे टेलीविज़न और आई फोन पर आईपीएल देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं। मेरा एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों है कि 75 साल में हम राजनेताओं ने 14 करोड़ की आबादी, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उस आबादी को पिछले 75 वर्षों में भी एक स्टेडियम नहीं दिया?

सभापति महोदय, मैं इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप हुआ। स्टेडियम में 1 लाख 32 हजार लोगों ने बैठकर देखा और करोड़ों लोगों ने पूरे भारत में देखा। कोलकाता का ईडन गार्डन है, वहां पर 75 हजार लोग बैठकर देख सकते हैं। रायपुर का इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां 65 हजार लोग बैठकर देख सकते हैं। हैदराबाद का इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां उस राज्य के लोग बैठकर देख सकते हैं। केरल की आबादी 3.5 करोड़ है, वहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। गोवा की आबादी 16 लाख है, वहां की आबादी पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, लेकिन बिहार के हम राजनेताओं ने 75 साल में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं दिया। छोड़ दीजिए कि आज बिहार में एक भी फाइव स्टार होटल नहीं है, छोड़ दीजिए कि बिहार में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है।

महोदय, मैं बिहार की दुर्दशा के बारे में सदन में इसलिए चर्चा करता हूँ कि हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन बिहार के प्यारे बच्चों को कम से कम अपने राज्य में क्रिकेट खेलने का मौका तो दे सकते हैं। हमारे राज्य की एक और स्थिति है। मैं खेल से ही जुड़ी हुई बात बताना चाहूंगा। अभी वर्ल्ड कप हुआ। गुजरात में इतना खूबसूरत वर्ल्ड कप हुआ कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। एक वर्ल्ड कप से एक राज्य को 22 हजार करोड़ रुपये और देश को 30 से 40 हजार करोड़ रुपये की आमदनी होती है। क्या बिहार के हम नेताओं को पिछले 75 वर्ष में इतना भी नहीं दिखा कि हम बिहार की आमदनी कैसे बढ़ा सकेंगे? ... (व्यवधान) आज की तारीख में हम लोग अहमदाबाद में या कहीं भी जाते हैं, जहां आईपीएल होता है।

(1225/MM/SNT)

होटलों का किराया 40000-50000 होता है, हवाई जहाज का किराया 40000-50000 होता है और इससे आमदनी बढ़ती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के तहत पूरा भारत विकसित हो रहा है। आईपीएल में बिहार का लड़का ईशान किशन झारखण्ड की तरफ से वर्ल्ड कप में खेलता है, आईपीएल में खेलता है। मुकेश कुमार आईपीएल में खेलता है और अभी साउथ अफ्रीका में खेल के आया है। वह बिहार का है और पश्चिम बंगाल से खेलता है। महोदय, अब सिर्फ एक ही भरोसा है और उसी भरोसे पर हम लोग चल रहे हैं। बिहार के लोगों को एक ही भरोसा है और वह भरोसा नरेन्द्र मोदी जी का है। 75 साल के इस कार्यकाल के परिवर्तन का भरोसा है।

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे से संबंधित एक समस्या उठाना चाहता हूँ। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कोरोना काल के दौरान और उसके पहले हमारे यहां सीतापुर से लखनऊ तक डेली पैसेंजर ट्रेन चलती थी और अप-डाउन करती थी। कोरोना काल के बाद वह ट्रेन बंद हो गयी है। इस संबंध में मैंने रेल मंत्री जी से पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए कई बार अनुरोध किया और पत्र भी दिया।

उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही सीतापुर तक वंदे भारत ट्रेन ले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपके दिए गए आश्वासन के बाद भी अभी तक मेरी मांग की पूर्ति नहीं हो पायी है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि कानपुर से लखनऊ होते हुए, हमारी कई वंदे भारत ट्रेन्स चलती हैं। एक वंदे भारत ट्रेन कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से सीतापुर और सीतापुर से शाहजहांपुर तक जाए और प्रतिदिन वह वापसी करे, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Thank you very much, Chairman Sir. I would like to address the issue of rising trade imbalance with China.

The trade deficit with China has crossed the USD 100 billion mark, which is a matter of concern. There are two problems with this trade imbalance. Firstly, its large size means that its ability to adversely impact our economy is immense. We should not be this vulnerable as it affects our national security. Secondly, there is a consistent pattern of widening trade deficits. The trade deficit stood at USD 69 billion in 2021, and increased considerably in only two years' time. A major reason why this is the case is that there is only a narrow basket of low per-unit value goods being exported to China. I urge the Government to ensure channels for the export of high per-unit goods.

Pharmaceuticals are of great value and their viability has been aided by district specific development, for example, in Visakhapatnam and East Godavari. Pharmaceuticals is among some of their top exports. Moreover, there is nothing wrong in allowing for investments in the tobacco sector if it is just for export purposes as it will also help increase the income of tobacco farmers, such as in Guntur and allied regions. Promotion of such exports can help the country and also individual districts.

Thank you, Sir.

(1230/YSH/AK)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के इस कालखंड में लोकतंत्र का यह नया मंदिर नए भारत निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। आज जिस विषय के संबंध में मैं अपनी बात रखूंगा, वह अतिगंभीर व विचारणीय है।

सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के फारबिसगंज से नरपतगंज होते हुए सहरसा तथा दरभंगा के बीच के रेलखंड पर हो रहा अमान परिवर्तन कार्य पूर्ण हो चुका है। दोनों रेलखंड फारबिसगंज से ट्रेनों के परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फारबिसगंज से इनकी कनेक्टिविटी भी कर दी गई है। 11 जनवरी, 2023 को मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण करके अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार एवं पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल

द्वारा कहा गया है की ट्रेन परिचालन को लेकर हम लोगों के यहां से कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है।

आज से 6 महीने पहले पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जोगबनी से फारबिसगंज होकर दानापुर एवं सहरसा के लिए 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों तथा दरभंगा एवं सहरसा से 2 जोड़ी ट्रेनों को फारबिसगंज तक विस्तारित करते हुए इसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है, बावजूद इसके इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन अब तक शुरू नहीं किया जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से लोग सड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर हैं तथा लोगों का आर्थिक शोषण भी होता है।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस रेलखंड पर घोषित ट्रेनों के परिचालन को जल्द से जल्द शुरू करें। साथ ही मैं लोकहित का ख्याल रखते हुए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से पटना तथा अयोध्या एवं वाराणसी के लिए शुरू किए जाने का आग्रह करता हूँ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्य करती हैं और राज्य सरकार इसकी देखरेख करती है।

केन्द्र सरकार की आंगनबाड़ी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के विकास हेतु कार्य करने के साथ-साथ आंगनबाड़ी स्कूल के संचालन का भी कार्य इनके तहत होता है। अतः इनका सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण कार्य है, किन्तु ये काफी कठिन परिस्थितियों में अपना कार्य करती हैं। उचित संसाधनों का आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अभाव है। जितनी राशि की और सामग्री की जरूरत है, वह पूरी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र टूटे-फूटे घरों से संचालित होते हैं।

इनके द्वारा कठिन परिस्थितियों में किए जा रहे कार्यों के दृष्टिकोण से इनका मानदेय काफी कम है। आज आसमान छूती मंहगाई के समय में आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय कम से कम 15 हजार रुपये प्रतिमाह और सहायिका का मानदेय 10 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की नितान्त आवश्यकता है।

माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनकी पीड़ा को समझते हुए बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का 2250 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये करने का काम किया है। इसका वित्तीय भार भी राज्य के ऊपर पड़ रहा है। बिहार के साथ-साथ देश में आंगनबाड़ी सहायिका एवं सेविका अपने स्तर से मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलन करती आ रही हैं।

ऐसी परिस्थिति में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का मानदेय क्रमशः 15 हजार रुपये एवं 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की इनकी उचित माँग को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Thank you very much, Chairman, Sir. First of all, I want to thank the hon. Prime Minister, and the

Minister of Road, Transport and Highways that the National Highways Authority of India in their guidance has selected the 3.60 km. long strip that starts from KM 1274 to KM 1277.6 of Chilakaluripet to Nellore section between Kalikivaya and Singarayakonda on National Highway-16 in my Parliamentary Constituency for construction of Emergency Landing Facility.

(1235/UB/RAJ)

The contract for development of this Emergency Landing Facility was signed between NHAI and the contractor on 26.12.2019. Major civil works were completed on 20.12.2021.

On 28th July 2021 a joint inspection was done by NHAI and Indian Air Force team, and they made an observation that minor bends and curves in the ELF are required to be corrected. The PD NHAI-Nellore explored the possibilities for straitening of minor bends and curves after the joint site visit by the representatives of NHAI, Indian Air Force, contractors and consultants.

The detailed cost estimate for rectification of minor bends and curves of Rs. 20.60 crores and for land acquisition cost of approximately Rs. 6 crores was forwarded to the competent authority of NHAI for approval from RO Vijayawada on 25.01.2023. This is not yet approved and is pending with NHAI for the last eleven months. Even though the hon. Minister had instructed the Member of NHAI for completion of this project, it is getting delayed.

I request the hon. Road Transport and Highways Minister for instructing the NHAI for approving these estimates on priority basis as this ELF has its strategic advantage. When disasters like recent Cyclone Michaung are there in Andhra Pradesh, it would be useful at that time. This ELF project must be completed soon in the national interest.

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सदन के समक्ष हमारे आदिवासी समाज की भावनाओं से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।

अमर बलिदानि खाज्या नाईक का जन्म मध्य प्रदेश के सेंधवा में हुआ था। वह भील समाज के राष्ट्रीय नायक की तरह भी जाने जाते हैं। वर्ष 1857 के संग्राम में उन्होंने भीलों की सेना बना कर अंग्रेजों से संघर्ष प्रारंभ किया और उन्हें जान-माल का भारी नुकसान पहुंचाया। वर्ष 1857 की क्रांति के समाप्त हो जाने के बाद भी खाज्या नाईक अंग्रेजों से लड़ते रहे। 3 अक्टूबर, 1860 को अंग्रेजों के इशारों पर सूर्य उपासना करते समय खाज्या नाईक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। खाज्या नाईक

के जीवन से संबंधित एक स्थान बाटवापाड़ा, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका के अंतर्गत आता है। यह स्थान आदिवासी समाज के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है, क्योंकि खाज्या नाईक अपने संघर्ष के समय इसी तालुका में रुकते थे और यहीं से आगे प्रस्थान करते थे।

बाटवापाड़ा आदिवासी समाज के लिए एक तीर्थ स्थल जैसा है। यहां बहुत वर्षों से मांग हो रही है कि खाज्या नाईक के शौर्य और उनके योगदान को सम्मानित करने हेतु एक स्मारक बनाई जाए। वर्तमान में बाटवापाड़ा तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, क्योंकि यह फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 में बाटवापाड़ा से काकड़माल तक सड़क बनाने की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई थी। इस सड़क के निर्माण के लिए 9.90 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया के डायवर्जन की अनुमति भी डीसीएफ, धुले डिविजन द्वारा दी गई है। इस रोड के निर्माण के लिए फाइनल अप्रूवल का निवेदन भारत सरकार के वन मंत्रालय के समझ बहुत सालों से पेंडिंग है।

मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि 2012 में अप्रूव्ड बाटवापाड़ा से काकड़माल तक की सड़क बनाने की स्वीकृति तत्काल दी जाए और खाज्या नाईक के स्मारक का निर्माण करने के लिए आवश्यक निर्देश दे।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री भर्तृहरि महताब।

... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सर, यह कैसे हो गया। आपका नम्बर?... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): नम्बर में थोड़ा अदल-बदल हो गया है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : इनका कल का नम्बर है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कल यह शून्य काल में बोलने से वंचित रह गए थे।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : लाँग पेंडिंग है।

... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह स्पेशल है।... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह स्पेशल नहीं है, यह कल से पेंडिंग है।

मैं ओड़िया में बोलना चाहता हूँ। मैंने कल नोटिस दी थी।

*SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Respected Sir, I want to speak in Odia, I had given notice yesterday.

Provisions for imparting education in Odia language in the state of Jharkhand is continuing even before independence.

Our constitution under article 350B guarantees education for the linguistic minority group in their respective mother tongue in every state. New education policy 2020 also encourages and gives emphasis for education in mother tongue.

Likewise, Odisha govt. runs Telugu, Bangla, Hindi medium schools from primary to highschool level. In Jharkhand also, 35 Odia language schools are running as of now. But the issue is that, vacant posts in these schools are not filled up with Odia teachers. Positions lying vacant due to retirement of Odia language teachers are being filled up by Hindi teachers.

This matter was brought to the notice of CM of Odisha Shri Naveen Pattnaik and also to the CM of Jharkhand Hemant Soren by locale persons requesting their intervention. Odisha CM also wrote a letter appraising Shri Soren of the issue. But no action was initiated.

I urge the central Govt. through you sir to take cognisance of the issue. There is a constitutional provision under article 350B, also the new education policy, yet why the matter is still pending? There is an urgent need for the central govt. to interfere. The central govt. should issue instructions to the Jharkhand Govt. to do the needful and to take necessary steps for smooth running of the Odia medium schools and appoint Odia teachers against vacant positions.

(1240/KN/SRG)

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, इस वर्ष 4 दिसंबर को नेवी डे नौदल के माध्यम से, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अरेबियन सी में जो किला बनाया था, उस किले के सामने नेवी डे मनाया गया। इस अवसर पर देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब आए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे और नेवी के सारे ऑफिसर्स आए थे। नेवी डे को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हमें भी बहुत खुशी हुई। इस नेवी डे के माध्यम से नौदल वहां आया तथा देश के प्रधान मंत्री और राजनाथ सिंह साहब वहां आए। इसकी हमें बहुत खुशी हुई। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य की तरफ से, महाराष्ट्र शासन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया जा चुका है। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 वर्ष पहले समुद्र में किले का निर्माण किया था, वहीं राजकोट में महाराष्ट्र सरकार ने इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का निर्माण किया और आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के हाथों से उसका अनावरण करवाया। यह बहुत गर्व की बात थी और गर्व की बात भी है। लेकिन दुर्भाग्य से, मैं शून्यकाल में कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा का, जिन्होंने सबसे पहले आर्मर का निर्माण किया था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के हाथों से अनावरण किया गया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के आठ दिन के बाद वहां जो बुर्ज तैयार किए थे, वे धंसने लगे। जो टाइल्स लगाई थीं, वे निकल पड़ीं। इस तरीके का घटिया काम, मेरे पास फोटो है, इस तरीके का घटिया काम महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से करके छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया।

(1245/VB/RCP)

इसके साथ-साथ अपने देश के पंत प्रधान और अपने देश के रक्षा मंत्री का भी अवमान महाराष्ट्र सरकार ने किया है।

मैं आपके माध्यम से, रक्षा मंत्री जी से महाराष्ट्र सरकार को सूचित करने की विनती करता हूँ कि भविष्य में छत्रपति शिवाजी महाराज, देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री जी का अपमान करने जैसा घटिया काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

जिस ठेकेदार ने ऐसा घटिया काम किया है, उस ठेकेदार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा) : माननीय सभापति महोदय, दुनिया के 21 देशों में कम्पल्सरी वोटिंग की व्यवस्था है। हमारे देश भारत में भी कम्पल्सरी वोटिंग की चर्चा हो रही है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और सरकार के साथ ही, सारी मशीनरी इसके लिए कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे देश में वर्ष 1983 में, मैं असम राज्य से आता हूँ, वहाँ जब लोग वोट डालने गये थे, तब नेल्ली मैसेकर में कत्लेआम हुआ था। केवल नेल्ली में सरकारी परिसंख्या के अनुसार 2,191 कत्ल हुए थे। दूसरे स्थानों पर भी, जैसे गांवपुर में, दोरांग जिले के चाउनखुवा, वर्तमान बोगाईगांव जिले में भी कत्लेआम हुआ था। यह अफसोस की बात है, वर्ष 1985 में असम समझौता हुआ, असम

में शांति हुई और असम आन्दोलन में जो लोग शहीद हुए थे, उनको शहीद का दर्जा मिला, लेकिन जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालने गये थे, जो लोग संविधान को बचाने के लिए वोट डालने गये थे, उन लोगों को अभी तक इंसफ नहीं मिला है।

इसके लिए तिवारी कमीशन बना था, लेकिन तिवारी कमीशन की रिपोर्ट कभी लाइट में नहीं आई, वह रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। वर्तमान भारत सरकार के एक मंत्री ने इसी हाउस में नेल्ली मैसेकर का जिक्र भी किया था। इसलिए मैं होम मिनिस्टर और केन्द्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने नेल्ली और दूसरे जगहों पर अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वर्ष 1983 में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उनको इंसफ मिलना चाहिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही, एक नेल्ली मेमोरियल का निर्माण होना चाहिए।

श्री घनश्याम सिंह लोधी (रामपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक गंभीर विषय से अवगत कराना चाहता हूँ।

आज के समय में चायवाला, फलवाला, पानवाला यूपीआई से लेना-देना करता है। लेकिन आजकल यदि कोई दुकानदार यूपीआई से भुगतान स्वीकार कर लेता है तो बैंक उसके खाते को फ्रीज या लॉक कर देता है, जबकि सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाता है। आज के समय में अधिकांश उपभोक्ता पे-टीएम, फोन-पे आदि से भुगतान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुकान से कोई सामान खरीदता है या होटल से कुछ खाने के लिए खरीदता है, तो वह डिजिटल पेमेंट का उपयोग करके भुगतान करता है। दुर्भाग्यवश, जिस डिजिटल खाते से भुगतान किया जाता है, यदि वह ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ा होता है, तो इसके परिणामस्वरूप पुलिस के आदेश पर उस होटल या दुकान के बैंक खाते को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही, यदि उस दुकानदार द्वारा अन्य लोगों को भी भुगतान किया गया हो, तो उन सभी खातों को फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसी घटनाएं केवल एक या दो राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि देश भर में हो रही हैं। आजकल पुलिस के निर्देशानुसार सैंकड़ों ग्राहकों के बचत खाते को बैंक्स फ्रीज कर रहे हैं। छोटे-छोटे दुकानदारों, बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों को बैंक खाते फ्रीज होने का खामियाजा भुगताना पड़ रहा है।

(1250/PC/PS)

हालांकि, कुछ मामलों में खातों को फ्रीज करने की आवश्यकता हो सकती है। यह बड़ा मुद्दा है कि पुलिस और बैंक्स मामले में पर्याप्त जांच के बिना, मामूली आधार पर लोगों को अपनी स्वयं की बैंक बचत तक पहुंचने से रोक रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी के केसों में यदि दुकानदार को उसके सामान को बेचने पर कोई भुगतान प्राप्त होता है, तो उसके फ्रीज्ड अकाउंट को तुरंत प्रभाव से खोल देने का प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, पीड़ित दुकानदार के राज्य में ही नजदीकी संबद्ध साइबर क्राइम ब्रांच – 1 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दे, ताकि पीड़ित दुकानदार को अन्य राज्यों में भागना न पड़े।

धन्यवाद।

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहां बोलने का मौका दिया।

महोदय, मैं अपनी मातृभाषा मराठी में बात करना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : जी, बोलिए।

... (व्यवधान)

*SHRI RANJEETSINHA HINDURAO NAIK NIMBALKAR (MADHA): Hon'ble Chairman Sir, I would like to speak in my mother tongue Marathi. Sir, the issue of Maratha and Dhangar community reservation has become very serious in my State Maharashtra. Sir, the Marathas are around 33% of total population of Maharashtra and Marathas serve this country wherever the need arises Maratha have fought for the cause of Dev, Desh and Dharm. But, now the plight of Marathas is very vulnerable and those who used to own 25 acre of land, they are holding meagre 2.5 acre today. The Maratha youths are facing financial crisis and they do not afford to take quality education. These families are living in abject poverty and the number of farmers suicide cases is very high among Maratha community. They are facing acute hardships and that is why they should be given reservation under OBC quota. Dhangar community is also sailing in the same boat. There is a problem with the spellings of 'Dhangar' and 'Dhangad' community names and there is nobody in Maharashtra who belongs to 'Dhangad' community. Maharashtra government has already clarified that the word is 'Dhangar' and not 'Dhangad'. In the other States except Maharashtra, the Dhangar community is availing all the reservation benefits under ST category but in Maharashtra they are still deprived of it. Hence, through you and this House I would like to request Hon'ble Minister to call a High level meeting urgently to look into this matter on priority. Jai Hind. Jai Maharashtra.

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर, मेरा विषय हम सब सांसदों का विषय है। मैं आपसे बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि 17वीं लोक सभा में सांसदों के बहुत से प्रोटोकॉल और अधिकारों को खत्म कर दिया गया है।

सर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि सांसद निधि, जो हमारी पांच करोड़ रुपए है और विधायकों की भी पांच करोड़ रुपए है। हमारे पास पांच विधान सभा क्षेत्र हैं और विधायक के पास एक विधान सभा क्षेत्र है। 'सोना पर सुहागा' यह है कि हमारी दो सालों की निधि भी रोक दी गई, जबकि आदरणीय सीतारमण जी ने ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह तो राष्ट्रीय संकट था। राष्ट्रीय संकट के कारण उसे रोक दिया गया था।

... (व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : सर, माननीय सीतारमण जी ने कहा था कि इसे पोस्टपोन कर रहे हैं। हम फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, फिर आखिर यह काम क्यों किया गया?

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एम्स के अंदर सांसदों के प्रोटोकॉल को कम कर दिया गया है। अगर सांसद एम्स में जाता है, तो उसको एक आम आदमी की तरह ही वहां ट्रीट किया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ... (व्यवधान)

सर, हमने डिमांड की थी कि सेंट्रल स्कूल के अंदर हमें 25 एडमिशन की इजाजत दी जाए, ताकि हम गरीब बच्चों को वहां भेज सकें। इजाजत तो क्या, हमारा वह अधिकार भी खत्म कर दिया गया।

(1255/CS/SMN)

महोदय, हम कभी-कभी मिलिट्री डिस्पोजल के व्हीकल ले लिया करते थे। वे सांसदों को दिए जाते थे। वह भी खत्म कर दिया गया।

महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सांसद से ज्यादा कोई नहीं जानता कि उसके क्षेत्र का कौन सा अधिकारी ईमानदार है, कौन सा अधिकारी भ्रष्ट है या कौन सा अधिकारी साम्प्रदायिक भावनाओं से काम करता है। जिस तरह से एक मेयर अपने सिटी कमिश्नर की सी.आर. लिखता है, उसकी सर्विस रिपोर्ट लिखता है, उसी तरह से सांसदों को भी यह अधिकार दिया जाए कि वे अपने क्षेत्र के अधिकारियों की सर्विस रिपोर्ट लिखें।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): जी-जी।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, हमने देखा है कि अगर हम किसी बात की सिफारिश करते हैं तो हमें नियम बता दिए जाते हैं। महीने भर बाद वह आदमी हमारे पास आता है कि मैंने यह काम करा लिया। वह काम उसने किस तरह से करा लिया, यह हमें और आपको सभी को मालूम है।

माननीय सभापति : डॉ. साहब, ठीक है।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, मुझे एक सेकेंड का समय दीजिए। ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

माननीय सभापति: नो-नो।

डॉ. शशि थरूर जी।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Chairman.

I wish to draw the attention of the hon. Minister of Railways towards the problems being faced by my constituents in my Constituency regarding the integrated block signalling system that has recently been introduced by the Trivandrum Railway Division.

According to media reports, Trivandrum bound trains are currently being regularly held up at the outer areas of Trivandrum Central due to the non-availability of platforms and overall congestion at Trivandrum Central Railway Station. Many of my constituents have come to me to say that they are just sitting in a train half an hour or forty minutes on the tracks without any station to alight at because of this problem. In fact, the recent and highly successful introduction of Vande Bharat trains has unfortunately only exacerbated the problem because it further affects the schedules of other passenger trains.

Delays caused by these hold-ups are a source of immense inconvenience to passengers, especially those who are commuting daily on these trains to reach their workplaces including at very important nearby institutions like ISRO, the Regional Cancer Centre, the airport, techno-park, HLL, Sree Chitra Tirunal Medical Institute and other institutions of national and public importance. If the existing system can be modified in such a manner that these trains stop at either Trivandrum Pettah or Kochuveli stations, passengers could then alight rather than wait for the train in the middle of nowhere to finally proceed to their destinations, then they can alight and go to their workplaces in a more timely manner.

This could also have other benefits including reducing platform and traffic congestion at the Trivandrum Central Station and improvements in the signalling system including the possible adoption of advanced automatic signalling would also help ensure the smooth passage of trains. The long promised, awaited and much delayed development in the Nemom Coaching Terminal which the Minister himself has promised has still not begun and that would definitely help ease the congestion at the stations.

Given that such measures would provide significant ease of travel and convenience to a large number of commuters in Kerala's capital, I would gratefully view it if he could kindly examine this issue urgently and implement much needed changes in the interest of the commuting public.

Thank you, Mr. Chairman.

*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): I thank you sir, for giving me the opportunity to speak on an important matter. I want to draw your attention towards the fact that during the Farmers' Agitation, the Central government had signed a written agreement with 'United Farmers' Front'. However, till now, nothing has been done in this regard. On 9th December, 2021, a written assurance was given by the government to the farmers that your demands will be met. On 11th December, 2021, the farmers withdrew their one year old agitation. They had faith in the government.

Sir, I and my other colleagues had agitated at Jantar Mantar for one year in support of these farmers. We too concluded our protest on 13th November.

* Original in Punjabi

However sir, one year has passed and nothing has been done regarding these demands of farmers. I urge upon the government that in consonance with the Swaminathan Commission recommendations, C2+50% formula must be implemented. The buying price of crops should be fixed and a guarantee of buying crops by government must be given. The cost of farming has increased. Remunerative MSP must be given for crops. Farmers are suffering losses worth 80%. Their debts should be waived off. The Electricity Reform Bill should not have been passed. But, farmers have not been consulted. In Lakhimpur Kheri, farmers were killed. The concerned minister should be dismissed and imprisoned. Also, sir, insurance for crops that are damaged due to diseases and calamities, must be given. Small and marginalised farmers (including men and women) must be given Rs. 10,000/- pension.

Sir, all F.I.R.s filed against farmers must be scrapped. This agitation was for common people. Farmers who died during agitation were martyrs. Place should be given on Singhu border for building a monument in the memory of these martyrs. Trade with Pakistan via Attari border must be started. In G20, there was mention of opening silk route. It should be opened via Attari border.

Sir, Cargo facility is ready at Amritsar Guru Ram Das International Airport. Farmers should send their produce to Arab countries and Russia through this airport's cargo terminal. I hope government will accede to the demands of the farmers.

(1300/SM/IND)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Those who want to associate, send their slips. Only then you can be considered as associated.

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): धन्यवाद, सभापति महोदय। अपने पत्र के क्रम में, जिसमें मैंने बार-बार उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे की स्थापना की मांग की थी, आपके माध्यम से मैं फिर से पश्चिम बंगाल के माल्दहा में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में हवाई अड्डे की स्थापना सार्वजनिक हित के साथ-साथ झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी है... (व्यवधान)

1301 बजे

(इस समय दर्शक दीर्घा से दो दर्शक सभा भवन में कूद पड़े।)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Rajesh Verma	Shri Ashok Kumar Rawat Shri Malook Nagar
Shri Rajiv Pratap Rudy	Shri Malook Nagar Shri S. C. Udasi
Shri Anurag Sharma	Shri Malook Nagar Shri Jagdambika Pal Shri S. C. Udasi
Shrimati Supriya Sadanand Sule	Shri Malook Nagar Shri Arvind Sawant Shri Jagdambika Pal
Shri Kaushlendra Kumar	Shri Jagdambika Pal Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Dr. Heena Vijaykumar Gavitt	Shri Malook Nagar
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	Shri Malook Nagar
Shri Vinayak Bhaurao Raut	Shri Arvind Sawant Shri Malook Nagar
Shri Bhartruhari Mahtab	Shri Mahesh Sahoo Shrimati Manjulata Mandal Shri Malook Nagar
Shri Ghanshyam Singh Lodhi	Shri Malook Nagar
Dr. S.T. Hasan	Shri Girish Chandra DR. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Dr. Shashi Tharoor	DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Gurjeet Singh Aujla	DR. DNV Senthilkumar S.

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1301 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/RV/RP)

1402 बजे

लोक सभा चौदह बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत् हुई।
(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

दर्शक दीर्घा से दो दर्शकों के सभा भवन में कूदने से संबंधित घटना के बारे में उल्लेख

1403 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्य काल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोक सभा अपने स्तर पर सम्पूर्ण जांच कर रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन हम सब की चिंता थी कि वह धुआँ क्या था, तो अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई है, उस प्रारंभिक जांच में वह धुआँ एक साधारण धुआँ था और सनसनी फैलाने वाला धुआँ था, इसलिए वह धुआँ कोई चिंता का विषय नहीं है। उसकी प्रारंभिक जांच ठीक से कर ली गयी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, हम सब वरिष्ठ सदस्य हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। कोई किसी को दोष नहीं दे रहा है।

सारी घटना की अभी प्रारंभिक जांच आई है। जब अंतिम जांच आएगी तो मैं सदन को सारी चीजों से अवगत करा दूंगा।

आपकी जो चिंता है, वह पूरे सदन की चिंता है।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the Parliamentary Affairs Minister has to reply on this. You may be the custodian of this House, but he has to do it. Who has permitted them?

माननीय अध्यक्ष : बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): With whose permission, have those persons entered?

माननीय अध्यक्ष : यह जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी यह भी है कि कौन लोग आए।

आप लोग क्यों डिबेट कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, already, there is an announcement: "Will attack the Indian Parliament".

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, पर आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी, जो विषय आप बता रहे हैं, वह वाला विषय नहीं है। यह मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा।

(1405/GG/NKL)

जब तक सदन के पटल पर विस्तृत जाँच रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक उस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रारंभिक जाँच के अंदर वे दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं। उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो दो लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, the question is, who permitted those persons to enter into the premises. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : बालू जी ने जो विषय उठाया है, मैं उस विषय पर बताता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने दूँगा, एक मिनट रुकिए। बालू जी ने जो विषय उठाया है, मैं पहले उसको क्लियर कर दूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, अधीर जी, आप बताइए, आपको क्या कहना है?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आज संसद पर हमले की बरसी है। वर्ष 2001 में आज के ही दिन, 13 दिसम्बर को हमारे पुराने संसद भवन पर हमला हुआ था। आज सुबह हम सभी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी थी, जो संसद भवन की सुरक्षा में शहीद हो गए थे। उन शहीदों को हमने पुष्पांजलि दी है। उप-राष्ट्रपति जी से ले कर प्रधान मंत्री जी, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन जी आदि हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे।

सर, आज ही इत्तेफ़ाक से यहाँ पर भी हमला हुआ है। हम मानते हैं कि उस समय का हमला एक प्रकार का था और आज का हमला दूसरे प्रकार का था। सर, लेकिन बात तो यह है कि इस हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसी घटी? ... (व्यवधान) क्या इससे साबित होता है कि हमें जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, हम वह नहीं बरत रहे हैं? ... (व्यवधान) सर, दूसरी बात यह है कि बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ यह कहने में अच्छा लगता है कि इन दोनों शख्सों को हमारे सांसदों ने दबोच लिया। हमारे सांसदों ने निडर हो कर उनको दबोच लिया। ... (व्यवधान) सर, तीसरी बात यह है कि हमारी जो पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी है, वह निहत्थे पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी। हमारे वे निहत्थे लोग आज कम दिखाई दे रहे हैं। ... (व्यवधान) यह दिल्ली पुलिस कहाँ से आ गई? लेकिन जो हमारे सदन के छोटे-बड़े ऑफिसर्स थे, वे कहाँ गए? ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ओके, मैं यह विषय आपको बताता हूँ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, उन सबको खाली कर दिया गया है। ... (व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, इस पर वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। इस पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, हम सब सीनियर व्यक्ति हैं, चिंता व्यक्त करनी चाहिए, देश देखता है।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, we should be more cautious. At the entry gate, hundreds of people gather, and when we, the MPs, enter the building, it becomes a very difficult situation for us to enter. ... (Interruptions) People stay at the gate from 11 am to 6 pm, taking photographs and selfies, and nobody can guess who is an MP and who is not an MP. ... (Interruptions) Today's incident is very serious. ... (Interruptions) It is a security lapse. ... (Interruptions) It should be ensured that such type of incident does not happen in future. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुदीप जी, आपने जो चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सभी की चिंताओं को समझता हूँ। इस विषय पर, सदन के चलने के एक-दो घंटे बाद हम सभी लोग बैठेंगे। कई बार ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है। आप सभी को मैं बुला रहा हूँ और आप सबकी चिंताओं से हम और बढ़िया इंतज़ाम कर सकते हैं। जो आपके सुझाव हों, उन सुझावों को माना जाएगा।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Okay, Sir. It is better if you call the Members from all the Parties. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको बुलाऊंगा और आप सभी के सुझाव मानेंगे। उन सभी सुझावों पर अमल भी करेंगे। क्योंकि यह हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से ही दर्शक दीर्घा में जाते हैं। उस विषय पर भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। यह हम सबकी चिंता का विषय है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय मैं समझ गया हूँ। आपने मेरी नॉलेज में डाल दिया है। मैं अभी सबको बुला कर बात करूंगा। देश में हम सब लोग राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं।

(1410/MY/MMN)

कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसके बाद भी सदन चले, यह हम सब की जिम्मेदारी है। उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Let there be a separate gate for the MPs.

माननीय अध्यक्ष: सुदीप जी, मैं आपको बुला रहा हूँ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सदन चलेगा, कार्यवाही चलेगी, सब कुछ चलेगा, मगर हमें सावधानी बरतनी चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सबको बुला रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सबको बुलाने के बाद सदन के अंदर चर्चा करूंगा।

... (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): The smoke is still there.

माननीय अध्यक्ष: नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सदन में बैठा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, मैं आप सभी को बुला कर इस विषय पर बात करूंगा।

... (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1412 बजे

माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

Re: Improvement in railway facilities in Gwalior region

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): मैं, मा. रेल मंत्री जी का ध्यान ग्वालियर अंचल में रेल सुविधाओं के बेहतरीकरण हेतु निम्न बिंदुओं एवं सुझावों पर कराना चाहता हूँ।

1. ग्वालियर से पुणे के लिये हमसफर एक्सप्रेस एव संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अयोध्या एवं हरिद्वार के लिये ट्रेनों का स्टॉपेज।

2. डबरा स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल डबरा स्टेशन पर जीटी, उज्जैवनी ट्रेन के ठहराव एवं गोडवाना एक्सप्रेस का ठहराव पुनः किये जाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

3. ग्वालियर - अहमदाबाद एक्सप्रेस 22547 को प्रतिदिन करने हेतु ग्वालियर से सप्ताह में तीन दिन चलने वाली ग्वालियर अहमदाबाद एक्सप्रेस 22547 को प्रतिदिन संचालित करने की आवश्यकता है। ग्वालियर में अनुरक्षण हेतु वाशिंग साइड का निर्माण हो चुका है, इसीलिये इसे प्रतिदिन संचालित कराया जा सकता है।

4. ग्वालियर का पर्याप्त जनरल रिजर्वेशन की सीट का कोटा बढ़ाने अथवा प्रदान करने हेतु:- 22222/22221 राजधानी एक्सप्रेस 22182 - निजामुद्दीन-जबलपुर एक्सप्रेस 12190 महाकौशल एक्सप्रेस 12724 - तेलंगाना एक्सप्रेस 12616 जीटी एक्सप्रेस 12156 12156 भोपाल एक्सप्रेस 11077 झेलम एक्सप्रेस 12919 - मालवा एक्सप्रेस 18477 - उत्कल एक्सप्रेस 18478 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को संचालित कराया जा सकता है।

आशा है मा. रेल मंत्री जी उपरोक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

(इति)

Re: Need to start new high speed trains from Darbhanga

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत दरभंगा रेलवे स्टेशन, ए-1 क्लास स्टेशन की श्रेणी में आता है, जहां से समस्तीपुर मंडल को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। वर्तमान में दरभंगा से देश के किसी भी महानगर व शहर के लिए कोई हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन नहीं होता है। देश के प्रमुख महानगरों व शहरों में लाखों की संख्या में दरभंगा व मिथिला के लोग निवास करते हैं और प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग रोजगार, इलाज, शिक्षा, तीर्थाटन सहित अन्य कार्य को लेकर दरभंगा रेलवे स्टेशन से यात्रा करते हैं। गुजरते समय के साथ यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं यात्रा में हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए मिथिला व उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा से देश के प्रमुख महानगरों व शहरों के लिए वंदे भारत, शताब्दी अथवा दुरंतो एक्सप्रेस जैसी नई हाई स्पीड ट्रेन का प्रतिदिन परिचालन प्रारंभ किया जाना अति आवश्यक हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूँ कि मिथिला के केंद्र दरभंगा से यथाशीघ्र वंदे भारत, शताब्दी अथवा दुरंतो एक्सप्रेस जैसी नई हाई स्पीड ट्रेन का देश के प्रमुख महानगरों व शहरों के लिए प्रतिदिन परिचालन प्रारंभ किया जाए।

(इति)

Re: Providing stoppages of various trains at Jhargram station

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): I would like to draw the attention towards the railway matters of Kharagpur Division and Adra Division under South Eastern railways. As you know, Jhargram is the district town and also a most important railway station and major tourist attraction centre of the district. There is no direct train to Bhubaneswar and Puri from Jhargram, which has immense value of medical and pilgrimage. The Puri-Haridwar Utkal Express connects the both cities. Huge number of migrant labourers of Jhargram and surrounding areas travel towards the Northern States of India by Purushottam Express and Neelachal Express, both these trains connect the Capital city of India. Numerous people who have engaged in IT sectors and other industrial or Unorganised sectors in the western States of India will get direct train from Jhargram if the stoppage is given to Gitanjali Express at Jhargram. Extend the Yesvantpur-Tatanagar express upto Kharagpur with stoppage at Ghatshila and Jhargram which connects the Southern States of India. Stoppage of Howrah-Chakradharpur express at Garhbeta be resumed as earlier. Therefore, I am requesting the Hon'ble Minister of Railways through you to direct the concern authorities to be given the stoppages of above said trains at Jhargram Station as soon as possible.

(ends)

Re: Need to set up X-band Doppler weather Radar in Marathwada region, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): मराठवाडा तथा उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र पिछले कई दशकों से मौसम की मार झेल रहा है। कभी भयंकर सूखा, कभी अति वृष्टि, कभी बाढ़, कभी ओला वृष्टि। इस क्षेत्र में विभिन्न फसलों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। परन्तु मौसम की मार के कारण तथा मौसम की समय पर सही जानकारी किसानों को नहीं मिलने के कारण हर साल हजारों करोड़ रूपयों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। विगत कई वर्षों से मैं सरकार से यहां पर एक एक्स बैंड डॉप्लर रडार स्थापित किए जाने की मांग कर रहा हूँ ताकि मौसम से होने वाली फसलों की बरबादी से बचाया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय ब्यूरोक्रेटिक समस्याओं के कारण डॉप्लर रडार की स्थापना का मामला विगत एक दशक से लटका हुआ है। काफी दबाव डालने पर अब सरकार यहां सी बैंड रडार स्थापित करने जा रही है। परन्तु इसका कवरेज एरिया कम होने के कारण किसानों को सही एवं समय पर जानकारी मिलना असंभव है तथा इसकी स्थापना से किसानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अतः इस सम्मानित सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र यहां पर एक्स बैंड डॉप्लर रडार स्थापित किए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं। (इति)

Re: Need to remove ban on export of non-basmati rice

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं संसद का ध्यान हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इस रोक का असर मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज पर पड़ा है, जो कालानमक चावल का प्राथमिक निर्यात केंद्र है। चावल की यह किस्म अपनी इतिहास छटी शताब्दी ईसा पूर्व से तराशती है; इसे भगवान बुद्ध द्वारा श्रावस्ती के लोगों के लिए एक उपहार माना जाता है। कला नमक चावल उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लगभग 20 जिलों में उगाया जाता है। हाल में इसे उत्तर प्रदेश के "एक जिला, एक उत्पाद" स्कीम के अंतर्गत सिद्धातनगर के उत्पाद के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब काला नमक चावल उत्पादन में 2019 में 4,311 मीट्रिक टन से 2021-22 में 15,000 मीट्रिक टन तक तीन गुना वृद्धि देखी गई है। यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि इस चावल कि अंतर्राष्ट्रीय मांग 2019-20 में 2% से बढ़कर 2021-22 में कुल उत्पादन का लगभग 7% हो गई है। यह प्रतिबंध कालानमक चावल उगाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्रभावित करता है। अतः मेरी सरकार से अनुरोध है कि जनहित में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक को समाप्त करने का कष्ट करे।

(इति)

Re: Construction of an underpass/foot overbridge on railway line in urban area of Kishangarh in Ajmer parliamentary constituency

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर के किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में स्थित रेलवे लाइन के उस पार मालियों की ढाणी, गांधीनगर, सांवतसर क्षेत्र के 19 वार्डों में लगभग 80000 से 90000 की आबादी निवासरत है। इस क्षेत्र के वाशिंगों को प्रतिदिन उक्त रेलवे लाइन को पारकर मदनगंज शहरी क्षेत्र एवं पॉवर लूम क्षेत्र एवं मार्बल एरिया में मजदूरी हेतु आवाजाही करनी पड़ती है। जिसके चलते रेलवे लाइन क्रॉस करते समय अधिकांशतः दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त उक्त गांधी नगर क्षेत्र की आबादी वर्तमान में रेलवे पुल संख्या 293 जो कि पूर्व में एक गन्दा नाला था। उससे गत 40-50 वर्षों से आवाजाही कर रही थी लेकिन डीएफसी के अन्तर्गत रेल लाइन बिछ जाने से उक्त एकमात्र रास्ता भी बन्द हो गया है। जिससे अब आमजन में काफी रोष व्याप्त है। अतः किशनगढ़ स्थित उक्त रेलवे पुल संख्या 293 पर नवीन ब्लॉक डालकर एक अण्डरपास अथवा पुराने बस स्टैण्ड के पीछे राम मन्दिर वाली गली से मालियों की ढाणी को जोड़ने वाली गली में रेलवे लाइन पर एक नवीन फुट ओवर पाथ का निर्माण कराकर आमजन को सुगम आवाजाही का मार्ग उपलब्ध कराने हेतु आप अविलम्ब दिल्ली एवं जयपुर स्थित विभागीय रेलवे उच्चाधिकारियों एवं डीएफसीसी अधिकारियों को निर्देशित कराकर, सक्षम स्वीकृति जारी कराने का श्रम करावें।

(इति)

Re: Stoppage of Telangana Express and Kerala Express at Dholpur railway station

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र करौली एवं धौलपुर दोनों जिलों के हजारों युवा रोजगार के संबंध में हैदराबाद, सिकंदराबाद, एवं दक्षिण सहित भारत के अन्य क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में आते जाते हैं। उक्त दोनों क्षेत्रों में रेल ही आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। परन्तु तेलंगाना एक्सप्रेस (12723-12724) एवं केरला एक्सप्रेस (12625-12626) का ठहराव धौलपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं होने के कारण लोगों को आगरा अथवा ग्वालियर जाकर उक्त रेल में बैठना पड़ता है, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन ट्रेनों का ठहराव धौलपुर रेलवे स्टेशन पर करने की कृपा करें जिससे क्षेत्रवासियों को रेल सुविधा का सरलता से लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Need to provide rail connectivity to Darrang district of Assam

SHRI DILIP SAIKIA (MANGALDOI): The Darrang district is one of the most backward districts of Assam. Keeping in view its backwardness, the Niti Ayog has selected Darrang District as an Aspirational District for comprehensive Development . After 75 years of Indian's independence this district is out of railway map of the country. More than 12 Lac population of the District are deprived from railway facility. There is a long standing demand of people since 1962 (Indio China war) to connect railway network in the district for smooth and affordable communication services and also for commercial use . The District produces agricultural product in a huge volume .But due to non-facility of railway network the farmers are not getting their due prices as they are unable to send their produce to other parts of the country. I urge upon the Government to connect the Darrang district with Railway Network through new Railway line from Rangia to Dakergaon via Bejera, Dumni, Chowki, Sipajhar Mangaldoi Kharupetia, Dalgaon and Aurang.

Further I urge upon the Ministry of Railway to start all Trains which was stopped due to Covid and restart the all stoppage closed till date of Mangaldoi, Lok Sabha

(ends)

Re: Need to upgrade the Mariyamnahalli – Shivamoga SH-25 into National Highway

SHRI G M SIDDESHWAR (DAVANAGERE): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways towards the need for upgradation of Mariyamnahalli – Shivamogga SH-25 into National Highway in Karnataka. Hosapete-Mangalore Road (SH-25) from Mariyamnahalli NH-50 (old NH-13) to Shivamogga NH-69 (Old NH-206) in Karnataka was in principle approved as National Highway in 2017. The entire stretch is divided into two parts as NH-4 to Shivamogga via Honnai, Malebennur, Harihara-Harapanahalli (IP28) and Mariyamnahalli-Itagi- Harapanahalli-Harihara-Junction to NH-4 (IP32). Hosapete-Mangalore Road, SH-25 is an important Major Inter-State Highway Road which connects National Highway-50 (old NH-13) at Mariyamnahalli, connecting NH 48 at Harihara and terminating at Shivamogga on NH-69 (Old NH 206), which passes through three major districts of Central Karnataka i.e., Vijayanagar, Davanagere and Shivamogga. Even after the lapse of more than six years, no action has been taken to develop the said highway, the upgradation of which would have improved the Socio-Economic development of the middle Karnataka. This is one of the most genuine demands of people of my Davanagere Parliamentary Constituency which requires immediate action. I urge upon the Union Government to consider the demand favourably and upgrade of Mariyamnahalli – Shivamogga SH-25 into National Highway in Karnataka on top priority basis.

(ends)

Re: Need to start an Intercity train between Nandurbar and Pune on daily basis

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I represent the Nandurbar Lok Sabha constituency which is a tribal dominated area and an aspirational district. Nandurbar currently has very few avenues for higher education. Due to limited opportunities in terms of education, students have to travel to Pune, which is the educational hub of the world to pursue courses in higher education like Engineering, Management, Medicine or Law. In addition to the students, there are a large number of businessmen, labourers and working professionals from Nandurbar who travel to Pune frequently. The low frequency and absence of a direct train between Nandurbar and Pune, causes a lot of inconvenience to the people of Nandurbar. The demand for an intercity express between Nandurbar and Pune has been pending for a long time. I request the Government to start an Intercity train between Nandurbar and Pune on a daily basis in order to benefit thousands of working professionals, students, businessmen and citizens who travel on this route frequently for work, business or educational purposes. An intercity train will aid socio-economic development and improve the human development index of my Lok Sabha constituency due to ease of travelling. It will also promote connectivity between Western Maharashtra and North Maharashtra.

(ends)

Re: Need to declare 'climate change' as natural disaster

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): हिमालय वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिसका कृषि पर तत्काल प्रभाव पड़ रहा है फसल चक्र बढ़ते मौसम और मिट्टी की नमी में बदलाव आ रहा है। उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से पहाड़ी प्रांत है कुछ तलहटी और मैदानी इलाकों के साथ समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अधिकांश कृषि योग्य भूमि है। जैसे-जैसे जलवायु परिस्थितियों बदलता है उत्तराखंड में कुछ किसान लाभप्रदता बनाए रखने के लिए सरकार या गैर सरकारी संगठनों की मदद से नई फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कहीं महिलाओं और दलित किसानों के लिए संभव नहीं है। हालांकि राज्य सरकार अब कीवी पौधों के वितरण पर सब्सिडी देती है लेकिन फल उगाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार और अन्य संगठन एक ओर जलवायु अनुकूलन पहल का सुझाव दे रहे हैं- वह है 'जड़ी बूटी और औषधीय फसलों की खेती। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जो गरीब किसानों महिला किसानों या दलित किसानों के पास होने की संभावना नहीं है। लोगों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढालने में मदद करने के लिए सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा जैविक खेती एक और उपाय है। इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी। फिंगर बाजार, मंडुवा, झंगोरा और बार्नयार्ड बाजरा जैसी स्वदेशी फसलों पर जोर दिया गया है। जो अधिक जलवायु लचीली फफूंदे प्रतिरोधी है। अक्सर सिंचाई के बिना उगाई जा सकती है। सीमांत किसान भी अधिक वर्षा के उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में केवल 45% कृषि भूमि सिंचित है इसलिए अधिकांश लोग अपनी फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर है। ऐसे अप्रत्याशित मौसम पैटर्न के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी फसल बीमा योजना का समर्थन किया है। उत्तराखंड सरकार स्थानीय किसानों को बीच उर्वरक और भारी मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चल रही है। जंगल की आग और कम बारिश जैसी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूलित करने में असमर्थ है। हिमालय राज्य में छोटे किसानों को अपनी आजीविका खोने का जोखिम उठाना पड़ रहा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन को एक प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पड़ने वाले वित्तीय बोझ को वहन करने के लिए राज्य सरकार को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

(इति)

Re: Need to set up a system to facilitate railway passengers to know the current status of their railway ticket purchased from railway ticket counter

श्री घनश्याम सिंह लोधी (रामपुर) : रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण चार्ट तैयार होने पर यदि विंडो टिकट कन्फर्म नहीं होती है तो ट्रेन के अपने गंतव्य स्थान से रवाना होने के अधिकतम आधा घंटे तक विंडो टिकट को रद्द करवाने का नियम है लेकिन यदि यात्री की ट्रेन अगले दिन सुबह की है तो रेलगाड़ी के लिए आरक्षण चार्ट सामान्यतः पिछली रात्रि में तैयार हो जाते है। अब बहुत क्षेत्रों में देर रात्रि या प्रातः में रेलवे आरक्षण विंडो के ना खुलने के कारण यात्रियों की टिकट कैंसिल नहीं हो पाती है और यात्री की धनराशि वापस नहीं मिलती है। बहुत सारे यात्री अपने गंतव्य रेलवे स्टेशन से 2 या 3 घंटे की दूरी पर रहते है और वहीं कई यात्री अपने क्षेत्रीय सांसदों से रेलवे कन्फर्मेशन के लिए प्रयास करते है लेकिन फिर भी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि यात्री के पास विंडो से खरीदा हुआ टिकट है तो ऐसे यात्रियों को कॉल सेंटर नंबर जारी किया जाना चाहिए ताकि यात्री अपनी टिकट की कन्फर्मेशन ना होने के कारण यात्रा नहीं करने की जानकारी प्रदान कर सके और उस यात्री को टिकट कैंसिल करने का उचित समय मिल सके और उसे धनराशि मिल सके।

(इति)

Re: Need to construct Railway bridge (ROB), Cattle Underpass (CUP) and Vehicular Underpass (VUP) on National Highway in Churu parliamentary constituency

श्री राहुल कस्वां (चुरु): मेरे लोकसभा क्षेत्र चुरु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 को 2 लेन से 4 लेन का किये जाने हेतु कार्य प्रारंभ हो चुका है। सड़क निर्माण से पूर्व सड़क की सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा सड़क का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान पाया गया की अनेक स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु VUP व CUP बनाये जाने की आवश्यकता है। गाँव भांगीवाद, बाघसरा आथुना, खोटिया, ढाणी डीसपुरा, रामसरा, ढाढर, लाखाऊ, लादडीया, दुधवा खारा, खेमाणा, ढढाल व गुलपुरा के रास्ते पर, श्योपुरा व इन्दासर वे गाँव हैं जहाँ इनकी मांग थी। काफी स्थानों पर ग्रामीणजन के द्वारा ROB बनाये जाने हेतु भी मांग की थी। इनका एक मुख्य कारण यह भी है की इन गाँवों में रिहापशी ईताका एक तरफ व सभी सरकारी संस्थाएं व रेलवे स्टेशन दूसरी तरफ पड़ता है और आमजन को सड़क को पार करना पड़ता है, जिससे लगातार दुर्घटना होने की आशंका रहती है। और काफी स्थानों पर दुर्घटनाये होती भी हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार अनुरोध है की इन सभी स्थानों पर ROB, VUP व CUP बनवाए जावे ताकि दुर्घटनाओं को होने से बचाया जा सके।

(इति)

Re: Need to provide irrigation facilities in Ratlam Parliamentary Constituency

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): मेरे लोकसभा क्षेत्र रतलाम, के जिले रतलाम, झाबुआ एवं आलीराजपुर में सिंचाई की सुविधायें पर्याप्त नहीं होने के कारण जनजाति परिवारों को सिर्फ एक फसल पर आश्रित रहना पड़ता है। झाबुआ एवं आलीराजपुर जिले में 88 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है तथा रोजगार की तलाश में इन्हें अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होने से रोजगार भी उपलब्ध होगा तथा आर्थिक क्षमता में भी वृद्धि होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इन 3 जिलों में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि किए जाने का अनुरोध है।

(इति)

Re: Heavy railway traffic on Delhi-Howrah & Delhi-Mumbai routes

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): I want to draw the attention of the Hon'ble Minister of Railways towards the issue of heavy traffic operating on main routes like Delhi-Howrah, Delhi-Mumbai etc. Diversifying alternate routes within the railway network holds immense potential for addressing the persistent issue of heavy traffic on these main routes. While these primary corridors experience congestion due to a high volume of trains, there exist numerous parallel routes that may be slightly longer but are significantly underutilised. Leveraging these secondary routes could not only alleviate the burden on major arteries but also foster regional development through a multiplier effect besides providing good passenger traffic. Many of these routes, categorised as Class-B, C, or D sections, currently have limited train services, resulting in lower passenger traffic. With strategic planning and the introduction of trains connecting these secondary routes to Class-A stations like Delhi, Howrah, and Mumbai, a considerable increase in passenger traffic can be anticipated. Railway authorities should consider implementing new routes, such as a direct train from Mumbai to Amritsar or Jammu via Mathura-Sirsa. Diversifying routes will also enhance the resilience of the railway system by providing alternative pathways during emergencies, maintenance, or unforeseen disruptions on primary corridors besides minimising the impact of disruptions on passenger, freight services.

(ends)

Re: Establishment of a medical college in Khargone Parliamentary Constituency

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): मेरा संसदीय क्षेत्र खरगौन (मध्य प्रदेश) एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना रहता है, जिसके कारण संसदीय क्षेत्र के मरीजों को दूर दराज के क्षेत्रों में या अन्य राज्य में आना जाना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से सविनय आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे बड़वानी जिले के सभी आस पास के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को लाभ प्राप्त हो। जनजाति समाज द्वारा विगत कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है। बड़वानी जिला जो कि आकांक्षी जिले की श्रेणी में आता है मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्राप्त होने से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को समावेशी लाभ प्राप्त होगा। जिससे रोजगार एवम् स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धि होगी। महोदय जनजाति बाहुल्य समाज की मांग को शीघ्रताशीघ्र पूरा किया जाए जिससे बड़वानी जैसे आदिवासी बाहुल्य अंचल के निवासियों को लाभ प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Doubling of Maksi-Ruthiyai railway line in Madhya Pradesh

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जो कि आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में स्थित है। यहाँ से इन्दौर, मुंबई, गुजरात, भोपाल, नागपुर आगरा, दिल्ली का सीधा सड़क संपर्क होने के बाद भी यह क्षेत्र आजादी के 70 सालों से विकास के लिये आशान्वित रहा है। मोदी सरकार द्वारा आशान्वित से आकांक्षी स्वरूप दिया जाकर विगत वर्षों में सभी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण का संकल्प सिद्ध कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र में पश्चिम-मध्य रेलवे के एकमात्र रेलखण्ड मक्सी-रुठीयाई रेलमार्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी व रेलमंत्री द्वारा विद्युतीकरण की ऐतिहासिक सौगात दी है। इसी क्रम में रुठियाई से मक्सी रेलखंड का दोहरीकरण सर्वे आदि की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर स्वीकृति लिये लंबित है, जिसकी स्वीकृति होने से राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सारंगपुर, ब्यावरा, पचोर, नरसिंहगढ़, सुसनेर, खिलचीपुर, गुना, राघौगढ़, चाचौड़ा आदि के लाखों लोगों एवं व्यापारी वर्ग को दिल्ली से मुंबई तक की सीधी सस्ती व कम दूरी की अनेक रेल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा एवं रेलवे को भी मालदुलाई के लिए फास्ट ट्रेक मिल सकेगा जिससे राजगढ़ के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनाकांक्षाओं के अनुरूप माननीय रेलमंत्री जी से मक्सी-रुठीयाई रेलखण्ड को दोहरीकरण की स्वीकृति के लिये अनुरोध करता हूँ।

(इति)

Re: Allocation of funds and restarting of Angamali-Erumali-Sabari new railway line project

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Railways had allotted Rs. 100 Crores in the current year's Budget for Sabari Railway line project, connecting Angamali to Erumeli, the gateway to the famous Sabarimala temple. However, since the project is yet to be de-frozen it is feared that this allocation will lapse without proper utilization. While there has been a new proposal for a feeder line from Chengannur to Pamba which will definitely not be an alternative to the Angamaly Erumeli line. This line will also put Thodupuzha, big commercial center having more the 50,000 population and Idukki district into rail map. This will also be a big boon especially for the development of Idukki district.

Considering these aspects, I urge upon the Government to provide the allocated amount of Rs. 100 crore in last Union Budget to Angamali - Erumeli Sabari new line project and to kindly give orders for re-starting the works for the above project.

(ends)

Re: Need to enact a law to deal with mismatch between medical facilities available in rural and urban areas

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Medical facilities available in the country, is less compared to the population. There is also a huge mismatch of medical facilities available in big cities and towns in comparison to villages and rural areas where maximum percentage of population resides. Providing medical facilities in a country like ours is a huge challenge but we need solution. People from villages and backward areas cannot afford costly medical facilities away from home. Even if a few can afford, situation may not permit them time to reach a city. There is a need to provide good doctors in villages and far off places. But unfortunately, there are very few doctors who are there to serve them. To reduce this shortfall, medical students who have cleared the final MBBS examination should serve a mandatory three years service in villages and rural areas before they are awarded the degree. Even those who acquire MBBS degree from abroad and clear the MCI exam should also be included. This is possibly the best way to minimise the imbalance in health care. Therefore, I urge upon the Minister of Health and Family Welfare to bring a law in this regard as this will bring a huge difference in rural health care.

(ends)

Re: Stoppage of trains in Perambalur Parliamentary Constituency

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): In my Perambalur parliamentary constituency, out of the six assembly constituencies Lalgudi, is one of the assembly constituencies which is surrounded by many pilgrim centers. In 108 Divyadesams of Lord Venkateswara, 03 Divya Desam comes in Lalgudi. It attracts more number of pilgrims every day from the state and different parts of the country.

This is my long pending request to the Ministry of Railway since 2019. I request to give stoppage to the train Guruvayur Express (16127), Mangaluru Express (12685) and Vaigai express (12635) at Lalgudi railway station as per the request of the people of my constituency which would be very helpful to them. At least a trial of six months can be given to see the public response. I also request the Ministry to construct a Railway Over Bridge (ROB) in Pullambadi LC 216km 300/200/300 in Thirumazhapadi road under Tiruchirappalli Railway Division and also construct an underpass in Kulithalai - Valandur where an entire village has been seeking this help for the past three years which come under Salem Railway Division.

(ends)

Re: Filing up of vacant posts under Central Government

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): According to the annual report given by the Department of Expenditure, as of 2022, 24.29% of the total sanctioned posts by the Central Government were vacant. Not only do vacancies have a tremendous impact on the quality of governmental action, it also puts undue pressure on currently employed workers, which in turn harms their ability to competently engage with their work in the long run. What is even more concerning, is that the highest number of these jobs are from Group B (Non-Gazetted), which also has the highest percentage of vacant posts, at 32.22%. Not only does this group form the backbone of all governmental action, but employment in this group is also a dream for many in the middle class, owing to its stable pay. As contract-based employment does not provide the same stability, there must be an effort to fill these vacancies with permanent contracts, and to convert contract-based employees into permanent ones. Furthermore, collaboration with educational institutions can lead to early identification and training of potential candidates. I urge upon the Central Government to take note of this pressing problem and implement appropriate remedial measures.

(ends)

Re: Fixing of viability price for farmers

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): I would like to bring it to the attention of the Hon'ble Minister of Commerce and Industry that the present Viability price of the Government of India is favourable to the processors at the cost of the farmers. In Andhra Pradesh and Telangana OER is 19.32% plus the share of the nuts. The Viability Price of the Government of India, excluded the share of the nuts to the farmers. I request the Government of India for a reconsideration of the viability price in the interests of the farmers and edible oil self sufficiency and include the share of nuts in the viability price, which were hitherto shared with the farmers. The Cost of Cultivation reported by Karnataka Prices Commission for the year 2020 is Rs 14980 per ton. But the viable price of Government of India for 2022-23 is Rs. 13349 per ton. This price is unfair and the oil palm farmers are bearing a negative subsidy burden for their oil palm FFBs. Due to the doubling of the price of fertilizer and labour in the recent past, the cost of cultivation is itself Rs 18000/ton and Oil Palm farmers need a minimum remunerative price of Rs 20,000/ton to retain this crop. Otherwise, farmers would be forced to uproot the plantations as has happened in the past.

(ends)

Re: Availability of adequate funds under MGNREGA for West Bengal

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): In August 2005, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) was established, focusing on rural development. This initiative guarantees 100 days of employment per year at minimum wages for adult members of rural households engaging in unskilled public work. It plays a direct role in building rural infrastructure and assets, influencing rural demand and employment indirectly. The allocated budget for MGNREGA in 2023-24 has been reduced to Rs 60,000 crore. Bengal owes more than Rs 7,000 crores by the Union government under MGNREGA. In the 2021-22 fiscal year, West Bengal led in the number of people employed (over one crore) and person-days generated (36 crore). Despite the norm of disbursing MGNREGA funds after 15 days of work, delays in clearing dues from the Union government to the State have occurred. The Union Government had already decreased West Bengal's funding from Rs 11,45,405.21 crores in 2021-22 to Rs. 7,50,780.15 crores in 2022-23. This has also deprived the SCs, STs and OBCs of their rightful earnings. Adequate funds are crucial for the scheme's effective implementation. Immediate attention is needed to rectify the lack of funds for MGNREGA, ensuring its successful continuation and ongoing support for rural communities.

(ends)

Re: Release of National Health Mission (NHM) funds to West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): The changes in the colour brand by way of repairing so many buildings would involve significant infrastructure expenditure. Our Hon'ble CM wrote to Hon'ble Prime Minister seeking his intervention for the release of funds under National Health Mission (NHM) to West Bengal and for removal of specific colour branding conditionalities for the Health and Wellness Centres for release of fund under the NHM, so that poor people do not suffer from lack of quality health services. Government of West Bengal has been providing affordable, accessible and quality healthcare free of cost to all through 11,000 functional health and wellness centres, which cater to over 3 lakh people every day. The buildings have been constructed since 2011 in accordance with the colour branding in the state. The release of fund under NHM has been stopped by the Ministry of Health & Family Welfare on grounds of non-compliance with certain colour branding guidelines in the health and wellness centres despite other conditionalities being fulfilled. I urge upon the Government through this august House to release the NHM funds to the State of West Bengal at the earliest.

(ends)

Re: Removal of Anti-dumping duty on Viscose Filament Yarn (VFN)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): The removal of Anti-Dumping Duty on Viscose Filament Yarn (VFY) has aggravated the textile industry's vulnerability. The influx of VFY imports from China is eroding the commercial viability of our manufacturers, jeopardizing their investments, and leading to an oversupply of unsold inventory. The Chinese VFY industry, predominantly state-owned and generously subsidized, is currently outcompeting the Indian VFY industry, rendering it financially unsustainable. Moreover, the Chinese industry enjoys a substantial 13% export rebate, creating an imbalanced playing field that hinders our sector's growth and hampers the realization of our 'Make in India' objectives. The Directorate General of Trade Remedies (DGTR) has recommended definitive anti-dumping duty on Viscose Rayon Filament Yarn (VRFY) imports from China. The anti-dumping duty recommended ranges from 5.48 per cent of Cost, Insurance and Freight(CIF)price to 20.87 per cent of CIF on VRFY imports, depending on the producer and country of export. China consistently floods the Indian market with significant volumes of VFY in an apparent attempt to eliminate competition. Hence, I request the Government to implement anti-dumping duty as recommended by DTR which is important not only for the survival of the Indian VFY industry but also for its potential for further growth and also fulfil the goal of making India Atmanirbhar in textile production.

(ends)

Re: Setting up of an AIIMS or AIIMS like institute in Karakat Parliamentary Constituency

श्री महाबली सिंह (काराकाट): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र काराकाट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या इसी कर तर्ज पर अस्पताल खोलने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र काराकाट में आधुनिक अस्पताल की सुविधा नहीं होने के कारण क्षेत्र वासियों को रोग निदान, शारीरिक जांच की आधुनिक मशीनों, उपकरणों तथा तकनीकी के अभावा में गंभीर रोग का निदान नहीं हो पाता जिस कारण पीड़ित रोगी महीलाओं बच्चों तथा बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधुनिक सुविधा वाले अस्पताल मेरे निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर बड़े शहरों में स्थित है कभी-कभी अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में मैं कई बार सरकार का ध्यान मौखिक तथा पत्रों द्वारा भी अवगत कराया है। लेकिन इस विषय में अभी तक किसी तरह की सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र काराकाट में शीघ्रतीशीघ्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या इसी की तर्ज पर अस्पताल खोला जाए। (इति)

Re: Disparity between service condition of permanent and contractual employees in NALCO, Odisha

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): NALCO has two units in Odisha, one each at Dhenkanal and Koraput HPC. But the policy of the organisation is such that there is a disparity between the permanent and contractual employees. In the event of death of a permanent employee, the wife of the deceased gets a compensation amount of Rs. 15 lakhs and full salary till the age of superannuation. Apart from this they also get all the benefits like quarter, health insurance, etc. On the other hand, in the event of death of a contractual employee, only a compensation of Rs. 15 lakh is given. The compensation is at par for any of such employee whether he or she has served the company for 5 years or fifteen years. This is a big injustice done to the families of deceased contractual employees. Justice needs to be done to the families who only get compensation package. They too deserve equal compensation like health insurance and full salary till the age of superannuation. Steps should be taken in this regard to restore parity among two sets of employees working in the same organisation. Therefore, I urge upon the Minister of Mines to take necessary steps in this regard.

(ends)

Re: Need to accord permission to BSNL to roll out 4G and 5G services

SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): When the private telcos are speedily rolling out their 5 services, govt owned BSNL has not even rolled out it's 4G service and thus lagging behind in providing high speed data service to the customers. In 2022 alone 77 lakh customers have left BSNL. It is in this juncture, govt has announced two important decisions regarding future of the BSNL. The first one is BSNL's 4G & 5G services, the second is the third revival package to BSNL.

In line with govt's decision, the Minister of Communications has made some announcements regarding BSNL's 4G&5G services (economic Times 24.05.2023). BSNL has started rolling out 4G Networks with 200 sites and after a 3 months trial, it will launch an average of 200 sites per day.

The second point is that "4G network of BSNL will be upgraded to 5G by Nove-Dec.2023. The fact of the matter is that BSNL will be in a position to start it's 4G service only in Oct-2024. This is because, the TATA Consultancy services (TCS) from which BSNL has been mandated to procure it's 4G equipments has not even started supplying the equipments. TCS is expected to complete the supply and installation of 4G equipments to BSNL not before Oct.2024. By the time, BSNL starts it's 4G services, customers would have massively left BSNL.

The BSNL could have launched it's 4G service atleast 2 year back through software up-gradation of it's existing 3G equipments into 4G equipments.

In April, 2020 BSNL floated a tender to procure 1 lakh 4G BTS (Base Transceivers Station) from global vendors. Government has subsequently cancelled these tenders and stated that BSNL should not procure 4G equipments from foreign vendors. Whereas, private telcos like JIO, AIRTEL and VODAFONE IDEA have procured their 4G&5G equipments only from foreign vendors without giving level play ground to the BSNL to compete with foreign telecom giants. Hence, I urge upon the Union Government to take speedy action to allot 4G & 5G to BSNL, a govt-owned CPSU.

(ends)

Re: Policy for developing carbon neutral educational institutions

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Sir, I wish to state that as far as the future of sustainable development is concerned, Climate action should begin from Schools. It is time that we start thinking about our educational sector as leading the charge towards a sustainable society. Starting from schools, carbon neutrality should be part of the curriculum to make the youth climate-ready. Not only that, schools should also shift its carbon footprint at the same time. Schools should resort to renewable energy for consumption, school buses should be mandatorily electric and students should be taught how to compost out of their own food waste. There should be environmental action teams in each school and at the District level. These are the key steps for educating the children and youth to learn about solutions that they can take to their home. These small steps will actually help integrate these solutions into the children's lived experience, that will spill over into the community also. I wish to urge upon the Government to urgently bring about a specific policy that will make our campuses carbon neutral by 2030 so that we can achieve the target of net-zero emissions by 2070.

(ends)

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAWS (SPECIAL PROVISIONS) SECOND (AMENDMENT) BILL

HON. SPEAKER: Item No.27A – Shri Hardeep Singh Puri.

1411 hours

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष: शशि थरूर जी।

माननीय मंत्री जी

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर पहले शशि थरूर जी बोलेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप डाकघर वाले बिल पर बोल रहे हैं या बिल इंट्रोड्यूस पर बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी मैं पोस्ट ऑफिस वाला बिल ला रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप इस पर कोई विषय रखना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी मैं अश्वनी जी का बिल ला रहा हूँ। पहले मैं हरदीप पुरी जी का बिल निपटाता हूँ। अभी मैंने अश्वनी जी का बिल नहीं लिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है तो वह बोल लो

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 28, डाकघर विधेयक, 2023

माननीय मंत्री जी।

POST OFFICE BILL

1412 hours

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Hon. Speaker, Sir, I rise to move:-

“That the Bill to consolidate and amend the law relating to Post Office in India and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आपको कोई विषय रखना है?

श्री अश्वनी वैष्णव: जी, अध्यक्ष जी। आज के इस पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया जाएगा।

मान्यवर अध्यक्ष जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि देश में एक इतना रिलाएबल नेटवर्क है, इसको डाकघर का नेटवर्क कहा जाता है। एक सदी से ऊपर की इसकी लेगेसी है। इस पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले साढ़े नौ वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है, आज का जो बिल है, वह बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है।

मान्यवर अध्यक्ष जी, पिछले नौ वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कंवर्ट किया गया है। पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कंवर्ट किया गया है। इसके कई अच्छे उदाहरण हैं, जो जन प्रभावी हैं। देश में जन-जन को इसका बेनिफिट मिला है।

जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके कई ऐसे अच्छे उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का एक उदाहरण है। श्री संसार चंद जी, जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर शिमला जाना पड़ता तो 3 से 4 दिन लगते। आज कुल्लू मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के खुलने से एक ही दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे ही ओडिशा के बोलांगीर जिले में आदर्शपाड़ा के रहने वाले 62 वर्ष के एक भाई श्री जगदीश चंद्र पात्रो हैं। उनका पासपोर्ट बोलांगीर हेड ऑफिस में ही बन गया। इससे पहले उनको 300-400 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर जाना पड़ता था।

मान्यवर अध्यक्ष जी, वैसे ही सर्विस डिलीवरी की इस भावना में डाक निर्यात केंद्र की बहुत अच्छी पहल की गई है। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से बिल्कुल सुदूर रिमोट एरिया में रहने वाले भारत के जो नागरिक हैं, वे भी अपनी हाथ से बनी हुई चीजें, या फिर उस एरिया की लोकल चीजों को बहुत ही आसानी से डाकघर के माध्यम से निर्यात कर पा रहे हैं। जैसे एक

एग्जाम्प्ल है, उत्तराखंड में रुड़की से बहन गंगा देवी डाकघर निर्यात केंद्र द्वारा फ्रांस, कनाडा, स्पेन को ब्रॉस के आइटम्स एक्सपोर्ट कर रही हैं।

(1415/CP/VR)

वैसे ही जोधपुर की एक बहन, कमला देवी प्रजापति हैं, वह सेरामिक नॉब्स अमेरिका और कनाडा एक्सपोर्ट कर रही हैं। भागलपुर, बिहार के भाई अहमद नदीम, आसपास में रेशम की साड़ी और कपड़े का जो काम होता है, उसकी जो कतरन होती है, उसकी बेकार सामग्री से पर्दे, सोफा कवर, पिलो कवर इत्यादि बनाते हैं और आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन को डाक निर्यात केन्द्र के जरिए से एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे ही गोवा में बहन मोना डिसूजा हैं, वह पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम सिंगापुर और यूएई निर्यात करती हैं।

अध्यक्ष जी, डाकघर को डाक डिलिवरी से सर्विस डिलिवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट आफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, ओडिशा के गजपति जिले की 95 ईयर ओल्ड वृद्ध माता लबंगया जी को चलने-फिरने में बड़ी तकलीफ होती थी। वे 95 ईयर्स की हैं, तो उनको बैंक तक जाकर अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस द्वारा जब यह सर्विस दी गई, तो इस फैसिलिटी से उनको घर पर ही पेंशन मिल जाती है। जन-सेवा के ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

अध्यक्ष जी, पासपोर्ट सेवा केन्द्र से अब तक करीब सवा करोड़ से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल चुका है। देश में करीब 10 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्हें घर बैठे, अब तक 29 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बेनीफिट घर तक पहुंचाया जा चुका है। किसी भी बैंक का एकाउंट होल्डर हो, पोस्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आधार एनेबल्ड तरीके से, अच्छे से, आसानी से कनेक्ट करके आज सरकार की जो सुविधायें हैं, जो लाभ हैं, वे लोगों को घर तक पोस्ट ऑफिस के जरिए मिल रहे हैं। मैं सभी मान्यवर सांसदों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में इस फैसिलिटी का उपयोग करायें और जितना हो सके अपने क्षेत्र के निवासियों का पोस्ट ऑफिस में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एकाउंट खुलवायें, तो उनको घर बैठे लाभ मिल सकता है।

मान्यवर अध्यक्ष जी, पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए से करीब-करीब 8 करोड़ कस्टमर्स हैं, जिनमें से साढ़े 3 करोड़ कस्टमर्स तो बहनें हैं। यह आज इतनी बड़ी सुविधा भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दी है, जिससे जन-जन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।

अध्यक्ष जी, मैं एक और विषय आपके सामने रखूंगा। वर्ष 2004 से 2014 तक इस पुराने विस्तृत नेटवर्क को एक तरीके से सिक्रिक करने का, कमजोर करने का प्रयास किया गया। करीब 660 पोस्ट आफिसेज वर्ष 2004 से 2014 वाले पीरियड में बंद किये गये। मोदी जी के आने के बाद, एक बार फिर इस पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाने का बीड़ा हाथ में उठाया और मजबूत

बनाने के लिए कई कदम उठाये, जिसमें 5 हजार नये डाकघर खोले गये। सभी को 5 किलोमीटर के दायरे में सुगम बैंकिंग सर्विस डाकघर के जरिए से, पोस्टल बैंक के जरिए से मिल सकें, इसके लिए अभी हाल ही में 5,746 नये डाक घर भी सैंक्शन किये गये हैं।

अध्यक्ष जी, डाक सर्विस में, पोस्टल नेटवर्क में करीब 1 लाख 28 हजार लोगों को नया रोजगार दिया गया है। इसी तरह से डिजिटल नेटवर्क के 1 लाख 60 हजार डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा गया है। 13,500 डाकघरों में आधार सेवा केन्द्र खोले गये हैं। अब तक साढ़े 8 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गये हैं।

अध्यक्ष जी, इस तरह से डाकघर को पूरी तरीके से परिवर्तित किया गया है और आज का यह जो बिल है, इसी परिवर्तन का एक साक्ष्य है। मैं सभी मान्यवर सांसदों से निवेदन करूंगा कि इसको यूनैनिमस्ली पास करने के लिए डिबेट करें।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि भारत में डाकघर से संबद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।”

1419 hours

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Speaker, I rise today on behalf of my party to note some very grave concerns regarding this Post Office Bill, 2023. I had hoped to welcome this Bill because of many reasons. As former Chairman of the Parliamentary Standing Committee overseeing the Postal Department, I had repeatedly flagged the need to revise and repeal the Indian Post Office Act, 1898, a colonial legacy long past its expiry date. But over the past decade we have often seen this Government in the guise of decolonizing our minds and updating colonial era lore, bringing in legislation that is equally if not more arbitrary and unreasonable, and that more often than not encroaches upon the fundamental rights of countless Indians.

(1420/SAN/NK)

Sadly, so it is with this Bill. Even as it seeks to revise a colonial Bill, this Bill retains its draconian and colonial provisions, that too while eliminating the burden of accountability which a governmental enterprise like India Post ought constitutionally to shoulder. Sadly, it offers no new ideas to bring our post offices into the 21st Century. As someone who has great respect for the Minister, I am disappointed to see him putting this half-baked reform before the House.

Mr. Speaker, let me first remind the House that there is no debate on any piece of legislation happening in a vacuum. There is always a context. Around a month or so ago, several outspoken Members of the Opposition, including myself, received a threat notice from Apple warning us of the fact that State-sponsored attackers were trying to infiltrate our phones, by doing which they could extract sensitive data and even hack our phones, cameras and microphones. Was it really so long ago that the threat of Pegasus loomed large on us all, surveilling our every move and tracking our every utterance? These are the realities we must bear in our minds as we begin debating this Bill, which strikes at the heart of our constitutional values, our Fundamental Rights, compelling every ordinary Indian to live at the mercy of our State's pervasive and suspicious mistrust of its own citizens.

Mr. Speaker, Sir, on the one hand the Government says that it wishes to reinvigorate the Indian Postal Service by widening the range of services it renders so that it becomes more useful to the Indian populace. We heard the

eloquent examples of my friend, the Minister. I will come back to this issue because I do not think that the Bill does this at all.

1422 hours (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

Sir, on the other side, the Government through this Bill grants itself sweeping powers to infringe upon the citizens' rights to freedom of speech and expression as guaranteed under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution and our right to privacy which the hon. Supreme Court in K.S. Puttaswamy case recognised as being a sub-set of the right to life and liberty enshrined in Article 21. The Government assumes these powers through clause 9 of the Bill. I would urge all of our friends to look on their screens clauses 9 and 10 of the Bill. This entitles that, using merely a notification, to empower any officer to cause any item in course of transmission through the post office to be intercepted, opened or detained in the interest of security of the State, friendly relations with foreign States etc. or upon the occurrence of any contravention of any of the provisions of this Act or any other law. Now, these are strikingly vague grounds and can be construed to cover anything that our Government does not like.

Indeed, the Government does not only seek arbitrary powers to spy on Indians by rummaging through their private correspondence and their shipments as clause 9(2) makes clear that they may also direct India Post to dispose of, which is to say to destroy or trash, any item, any personal article that has fallen foul of their ambiguous definition of what constitutes a threat to India's interest. Further through clause 9(3), our Government again by a simple notification may empower any officer of the post office to confiscate any item. I am summarising a rather long legal clause which is before you all on your screens.

Now, there is a lot to dissect in this one section alone, starting from the fact that the Supreme Court in the 1996 judgement of People's Union for Civil Liberties *versus* the Union of India, a matter concerning the interception of telecommunications, opined that a just and fair procedure must exist to regulate the power of interception because in its absence, it is not possible to safeguard the rights of citizens under Article 19(1)(a) and Article 21. To fill this gap, the Supreme Court laid down several safeguards such as establish the necessity for interception, limit the validity of interception orders, authorisation is required from high-ranking officials and, most important, interception orders are to be examined by a review committee. I cannot help but wonder why our Government

in conceiving of this Bill failed to take such a crucial verdict of the Supreme Court into account for as it stands, the Bill is far more detrimental to the Fundamental Rights of Indian citizens than the colonial era law it seeks to supplant.

In fact, Mr. Chairman, in some ways, the 1898 Act was less arbitrary because though it allowed interception, it specified, unlike this Bill, the circumstances under which interception could be carried out.

(1425/SNT/SK)

Section 26 of the 1898 Act empowered the Central Government, or a State Government, or a specially authorised Officer to direct through a written order any postal article to be intercepted, detained or disposed on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety or tranquillity.

Now, while examining the 1898 Act in 1968, the Law Commission opined that the term 'emergency' is not explicitly defined and provides far too wide a grant for interpretation, and therefore, for interception. The Commission added that a public emergency cannot be a constitutionally permissible ground for interception if it does not impinge on the security of the State, public order or any other thing specified in the Constitution. Therefore, it can certainly be said that the criterion of emergency which unfortunately again features in this 2023 Bill may be beyond the scope of the reasonable restrictions permitted by our Constitution.

Even as recently as 2015, in the matter of *Shreya Singhal vs. the Union of India*, the Supreme Court reaffirmed that arbitrary grants for restricting freedom of speech and expression are unconstitutional. Here, once again, our Government is being wilfully indifferent to the wise counsel of the highest court of our land. In fact, by not even defining what sort of matter and material cannot be sent through post, something which the 1898 Act does, our Government has sought to make Indians yet more vulnerable to this attempted mass surveillance.

Section 9 of the Post Office Bill, 2023 not only grants the Government all valiant powers to intrude into our lives by intercepting, detaining, and destroying our correspondence or our consignments, it also does not provide for any mechanism whereby the concerned citizen can even be informed of their correspondence or consignment having been intercepted, and whereby they can contest India Post's decision to intercept, detain or destroy their

correspondence. In other words, there is simply no grievance redressal mechanism in the Bill, an absence which is felt all the more keenly if you just scroll down to Section 10. By keeping Indians in the dark as to the interception, detention or destruction of their correspondence and consignments and by not allowing them to contest these decisions which are inherently arbitrary, our Government has violated every principle of natural justice and due process of law because in cases like these neither will it bother to listen to the other side nor will it grant the concerned citizen the right to make a case for themselves.

In this regard, the 2023 Bill is also violative of Article 14 of our Constitution. The problem of this Bill in not having a grievance redressal mechanism becomes specially agonising when we look at Section 10. What an irony it is, Mr. Chairman, Sir, that today the private courier services in our country are far more accountable to the people of India than the Indian Postal Service which is an undertaking of the Central Government! While the Consumer Protection Act of 2019 holds our private couriers to account, that does not apply to India Post. Now, pursuant to the second sub-clause of Section 10 of this Bill, no officer of the post office shall incur any liability with regard to a service provided by the post office unless the officer has acted fraudulently or wilfully caused loss, delay or mis-delivery. Now, this clause bolsters our Government's power to intercept, detain or destroy our postal articles without being in any way accountable to the people of India. We also cannot hold postal workers liable for loss, delay or mis-delivery. Then, we will commence a debate about whether the omission was committed wilfully or with a fraudulent intent plunging the ordinary Indian citizen into endless red-tape. Indeed, because the Bill does not provide for a grievance redressal mechanism, Indians have absolutely no avenue to hold the postal service liable and because the Consumer Protection Act does not apply to India Post, the people of India are not entitled to compensation should they incur any loss or damage owing to the post office's negligence. Interestingly, the prescription of liabilities is itself a power that the Government assigns itself. If you look at Section 10(1), it says: "Notwithstanding anything in any other law for the time being enforced, the post office shall not incur any liability, except such liability as may be prescribed with regard to a service provided by the post office."

Now, Mr. Chairman, Sir, I must say to the Minister that when you yourself can decide where you will be accountable to the people, when you yourself can choose whether you want to be accountable to the people, and how much you are accountable to the people, that means you are not accountable at all.

(1430/AK/KDS)

This is the broad meaning of this outrageously drafted Bill.

To send across a letter or parcel through India Post is to fling it essentially into a black hole with no accountability whatsoever as to whether it will reach its destination or be received by whoever you are sending it to. What is more, you would not even get to know what happened with your letter or parcel because nowhere in the Bill does there exist any provision to notify the concerned citizen that their item has been intercepted.

Now, this is profoundly worrying. It would have been one thing to exempt postal workers from liability relating to intercepting items. That the Bill does not even consider them liable for such blatant wrongs as loss, misdelivery, delay or damage is downright unacceptable not least for those e-commerce portals that are the backbone of Digital India and they choose to deliver their products through India Post.

I love those examples our Minister gave us. Miss so and so here, Begum so and so there and so on have been sending those items. But under this law, if those items are damaged, misdelivered or stolen, no one will know anything. They would not even be notified. What kind of Bill is this Mr. Chairman?

All in all, Section 10 might well be interpreted as the Government absolving the employees of the Indian Postal Service -- even though they are public servants -- of the accountability that all public servants legally have to the citizens they serve. Moreover, given that India Post is planning to add an array of financial services and products to its portfolio, it is imperative, especially while rendering services where citizens' sensitive data is involved that we proceed with the utmost caution protecting our consumers and our citizens from fraud, data breaches and similar transgressions.

I should like to remind this House that it is only by strictly ensuring that postal workers are liable for wrongdoings that we will succeed in reinvigorating India Post. Ultimately, in the absence of a grievance redressal mechanism, the citizens will have no option but to seek justice by moving the courts in

accordance with Articles 32 and 226 of our Constitution and that will merely increase the pendency of cases piled on top of our already overburdened judiciary.

Mr. Chairman Sir, let me draw your attention to the fact that the Indian Post Office Act of 1898, this colonial law, was far more accountable to the Indian people than this new law which is presented to us as a break from the colonial past. Under the 1898 Act, for instance, the illegal opening of postal articles by a postal officer was punishable with imprisonment for up to two years or a fine or both. In stark contrast, under this Bill of 2023, there is no repercussion for such a flagrant violation of our right to privacy.

As I have already mentioned, the Bill in Section 10 states that no officer will be liable with regard to a service rendered by India Post. Of course, the fact is that if an officer does indeed wilfully commit transgressions, the Bill does not specify what the punishment is, unlike the 1898 Bill. Formerly, under the 1898 Act, transgressions like theft, misappropriation, destruction of postal articles by an employee of India Post used to be punishable with imprisonment up to seven years and a fine. But the Jan Vishvas (Amendment of Provisions) Act, 2023 struck off all such provisions. All such punishments are gone. So, first Jan Vishvas watered down the offences and penalties that an officer of India Post was subject to under the 1898 Act, and now this Bill, by dispensing with these offences and penalties wishes to make the officers of India Post, the employees and therefore our Government wholly unanswerable to the citizen of India. Wah!

Now, the jarring absence of either any liabilities or a grievance redressal mechanism in the Post Office Bill, 2023 flies in the face of how the same Minister's other Ministry, the Railways, holds itself accountable to Indians. The Railway Claims Tribunal Act, 1987 instituted Tribunals for dealing with complaints against the Indian Railways for lapses of services. If your 2023 Bill here did not want to go so far as to establish a Grievance Redressal Tribunal, at the very least you could have incorporated the Supreme Court's 1996 recommendations regarding the exercise of the power of interception.

Through this Bill, our Government has sought to make itself the judge, jury and executioner in all those cases where a citizen's correspondence or consignment is found violative of the Bill's excessively vague ground. On this Bill, there is nothing that is reasonable. There is plenty that is restrictive.

(1435/UB/MK)

According to the Universal Postal Union, 73 per cent of postal services the world over suggest that without a complete digital overhaul of postal facilities, the survival of post offices is simply not feasible. That are Government, in an age of Digital India, Self-Reliant India, Atmanirbhar India, should fail to lay down the groundwork for such a reinvigoration is unimaginable and saddening. Imagination is what this Bill lacks.

Today, India Post has a monopoly only on conveying letters. Gone are the days when they had monopoly and our post offices could be steeped in antiquity, and staffed with demotivated employees whose only job was to push files. Our postal services are at a turning point today, and must compete in order to remain relevant. If it envisages India Post as rendering e-commerce, e-government and e-finance services, then our Government ought to move towards its rapid digitization and diversification.

A simple step, just to illustrate the point I am seeking to make, is the introduction of an encrypted, digital post box service being introduced, like an India Post e-mail service which will save Indians quite a lot of money in postage costs. Through this service, citizens can view, manage and organise their digital communications from numerous providers in a single location, that too through just one account. Through this account, citizens can receive and respond to several transactional communications and securely manage by linking it to their UPI, other necessary affairs such as booking railway, bus and air tickets, paying for governmental services - LPG, electricity, water, and so on - alongside paying for subscriptions like Netflix and Spotify. They should also be able to upload and store documents, and receive important notices and reminders. In other words, the goal should be to make India Post useful to the ordinary Indian by thinking out of the box, as also by discussing threadbare in Parliament what sort of facilities we must offer to our citizens, and why? India is not alone in being at this crossroads. Several countries of the European Union – it was manifested in their Government Benchmark Report 2019 – have grappled with this, and many of them have reached the conclusion that digital services must be introduced to help postal services survive, and launched them into a glorious new era.

Many European Governments have introduced measures to communicate with their citizens digitally in a secure and trusted manner. Then

again, we must remember that citizens will be willing to share their personal data online only if their Government can guarantee them the highest standards of digital safety and security.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please conclude.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): We also have at our disposal a magnificent latticework of real estate that can and must be put to better use and made commercially profitable.

In an economy like ours that is fast becoming an e-commerce delivery chain, as the hon. Minister has said, postmen who are given, of course, to go everywhere in our country to the most remote places can be utilised as a last mile carrier and India Post is collaborating with Amazon already. We have this robust infrastructure and we have lakhs of dedicated postal workers. The endeavour now must be to reimagine and remould it so that the post offices can actually move into the 21st century, and provide financial services which is already mentioned, like India Post Payments Bank. Why not, for example, institutional credit? Nearly 40 per cent of our rural population lacks access to credit – another gap that India Post can strive to fill.

In many countries, post offices have been repurposed to provide additional services beyond their traditional role. The hon. Minister mentioned several exports from remote areas but that was already there. The work of the post office is sending out any packages. Why can we not think more imaginatively about service delivery? Would it not be wonderful in rural areas to see them transformed into internet hubs that enable students to access educational material and complete formalities like filling examination forms online, all without any need to venture too far away from their homes? Why not voters' registration and driving licence? Some post offices abroad have expanded their offerings to include retail services including selling stationery, books, and gifts, and so on like the Japan Post Group does. In some countries, post offices have partnered with healthcare providers to offer medical services such as vaccinations, health checkups, and prescription delivery.

(1440/SJN/SRG)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N.K. PREMACHANDRAN): Now, please conclude.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I will take just one more minute. Let me just complete it. These are important points.

HON. CHAIRPERSON: You have already spoken on the Bill. That is why, I am saying.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I have gone into the Bill in some detail because it is important. We are seriously discussing this Bill. Anyway, I will try and conclude very quickly by just pointing out that the Minister's goals he mentioned are all laudable aspirations. They are crucial for the reinvigoration of India Post. But perhaps the greatest flaws of this Bill, the evident disdain for our fundamental rights, apart from that is the fact that it harps on about its alluring destination, without prescribing a map that will get us there. Nowhere in the Post Office Bill does our Government spell out how exactly it intends to convert India Post into a network for the delivery of citizen centric services. We are being asked to take solace in the fact that once the Bill is passed into law, our Government will whirl a magic wand of rules and regulations and catapult our postal services to bedazzling new heights. There is no specific promises to the citizens of India, other than that the post office will not be accountable, the post office will not be liable. ... (*Interruptions*) Sir, I will just conclude. If this transformation comes at the cost of endangering every Indian citizen's right to free speech and expression, every Indian's right to privacy, every Indian's right to natural justice and the due process of law, then the remedy is worst than the disease. Therefore, I would say this Bill is a great disappointment, and I request the Minister to kindly return to the drawing board and come back with something better.

Thank you, Mr. Chairman. Jai Hind!

(ends)

माननीय सभापति : श्री तापिर गाव जी।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, please.

... (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : महोदय, राज्य सभा स्थगित हो गई है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Rajya Sabha proceedings cannot be quoted here.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, Rajya Sabha has nothing to do with the Lok Sabha.

... (*Interruptions*)

1443 बजे

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, आज 1898 के इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट...(व्यवधान) आज 125 साल पुराने ब्रिटिश लिगेसी एक्ट को...(व्यवधान) मैं डाकघर विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ...(व्यवधान) आज कांग्रेस पार्टी के लोग इतना हल्ला कर रहे हैं...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Yes, Adhir Ranjan ji.

... (Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, अभी-अभी यह खबर मिली है कि आज जो दो शख्स गैलरी में आए थे, वे दोनों बीजेपी पार्टी के किसी एमपी से पास बनवाकर सदन में घुसे थे, तो सुरक्षा कहां है?... (व्यवधान) बीजेपी के एमपी खुद...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No. The hon. Speaker has already ordered that at 4 PM there will be a meeting of the Party leaders.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: This will be discussed there, and after that, it will be discussed in the House also.

... (Interruptions)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, आज 125 साले पुराने ब्रिटिश लिगेसी कानून को...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjan ji was also there at the time when the hon. Speaker was giving the ruling. You were also there.

... (Interruptions)

1444 बजे

(इस समय श्री हनुमान बेनिवाल आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी, इस बिल को लेकर आए हैं। इस बिल के माध्यम से...(व्यवधान) आज कांग्रेस पार्टी के लोग इतना चिल्ला रहे हैं...(व्यवधान)

कांग्रेस के जमाने में वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक 664 पोस्ट ऑफिसेज़ बंद करवा दिए गए थे। मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद वर्ष 2014 से 2023 तक 5,000 नए पोस्ट ऑफिसेज़ खुलवाए हैं...(व्यवधान) इस साल 5,746 पोस्ट ऑफिसेज़ देश भर में खुलने जा रहे हैं और खुल रहे हैं...(व्यवधान) इन पोस्ट ऑफिसेज़ के माध्यम से दूर-दराज और बाहरी इलाकों के गांवों में पोस्टल की सारी सुविधाएं मिल रही हैं...(व्यवधान)

1445 बजे

(इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री कल्याण बनर्जी, श्रीमती अपरूपा पोद्दार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

(1445/SPS/RCP)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : सर, कोविड के समय में पोस्टल की बहुत सुविधा मिली थी। मोदी साहब और अश्विनी साहब इस चीज को आगे ले जा रहे हैं... (व्यवधान) आज हिन्दुस्तान में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में 28 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं और इनमें 17 लाख करोड़ रुपये डिपॉजिट भी किए गए हैं। इसके माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना में 3 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं और 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये डिपॉजिट हुए हैं। ... (व्यवधान) महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स की ओर से 21 लाख की सेविंग सर्टिफिकेट हुए हैं। पोस्टल सर्विस एक सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है। हमारे ऑनरेबल मैनबर ऑफ पार्लियामेंट साहब बोल रहे थे कि अगर नया कानून लाते हैं तो देश की अच्छाई के लिए और सर्विस की अच्छाई के लिए लाते हैं, लेकिन कांग्रेस हर चीज के विरोध में निकल आती है और आप लोग पब्लिक सेवा को भूल जाते हैं। ... (व्यवधान) पोस्टल ऑफिसेज़ में पासपोर्ट सेवा केन्द्र बना दिए गए हैं। आज तक 434 पासपोर्ट सेवा केन्द्र देश में खुले हैं, जिनमें 1 करोड़ 25 लाख ऐप्लीकेंट्स को सुविधा मिली है। पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से आधार एनरोलमेंट के लिए 13,500 सेंटर्स खुले हैं और इनमें 8.83 करोड़ कस्टमर्स को ट्रांजेक्शन की सुविधा मिली है। ... (व्यवधान)

सर, कांग्रेस के राज में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स में institutions and organisations were to be closed in the country. अब मोदी जी ने इस पोस्टल सर्विस को आगे बढ़ाया। पोस्टल सर्विस में 1.54 लाख एक्सेस पॉइंट्स के साथ 650 ब्रांचेस खुली हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): If you go back to your seats, I will give you the opportunity

... (Interruptions)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स में 8 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं और 8 हजार 800 करोड़ रुपये डिपॉजिट हुए हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: When the Speaker was here, when Shashi Tharoor ji was speaking, no disturbance was there, no interruption was there.

... (Interruptions)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : इसके साथ ही देश में आधार एनेबल्ड पेमेंट्स (एईपीएस) में 10 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है और 3.5 करोड़ डीबीटी अकाउंट्स खुले हैं। ... (व्यवधान) पब्लिक और हमारे देशवासियों को दूर-दराज गांवों तथा हिमालय में बसे लोगों को भी इस पोस्टल सर्विस से बहुत लोगों को सुविधा मिल रही है। इसलिए मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ। ... (व्यवधान)

(1450/MM/PS)

मैं कांग्रेस और विपक्ष के लोगों से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि पब्लिक सेवा के लिए यह कानून अमेंड करने के लिए 125 साल के बाद लाया गया है ... (व्यवधान) इसलिए हम सभी को मिलकर

इस बिल को पास करना है ताकि गरीब जनता को देश भर में सुविधा मिले ... (व्यवधान) उनको इसकी सेवा मिले, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ और साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को यह रिक्वैस्ट करूंगा ... (व्यवधान) हम जैसे गांव और दूर-दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको नेशनलाइज्ड बैंक्स सुविधाएं नहीं दे पाते हैं... (व्यवधान) इस पोस्टल सर्विस से हिमालय बेल्ट के दूर-दराज गांवों में पोस्टल सर्विस का अकाउंट खुले... (व्यवधान) सेंटर खुले ताकि हमारी गरीब जनता इसका उपयोग कर सके... (व्यवधान) देश भर में इसको फैलाना चाहिए ताकि गरीब जनता को इससे सहायता मिल सके... (व्यवधान) वे लोग इसका उपयोग कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। जय हिंद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Now, the next speaker is Shrimati Kanimozhi Karunanidhi ji.

... (Interruptions)

1450 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने आप सभी की भावनाओं को पहले ही यहां व्यक्त कर दिया है। मैंने 4 बजे इस विषय पर सभी दलों की मीटिंग बुलाई है।

सभा की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1451 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1600/YSH/SMN)

1600 बजे

लोक सभा सोलह बजे पुनः समवेत् हुई।
(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के बारे में उल्लेख

1600 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज जो घटना घटी है, वह हम सबके लिए चिंता का विषय है और यह घटना गंभीर भी है। घटना के समय घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहां के सुरक्षाकर्मियों ने, यहां के मार्शल ने, चैम्बर स्टाफ तथा सभी लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और मैंने खुद ने भी देखा था कि निडरता के साथ उनको दबोचा, उसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ।

आज ही के दिन वर्ष 2001 में इसी तरीके से केन्द्रीय सुरक्षा बल, संसद के सुरक्षाकर्मी, यहां का स्टाफ तथा यहां के लोगों ने बहादुरी और निडरता के साथ उस हमले को विफल किया, आज हमने ऐसे ही हमले को फिर से विफल करने के लिए जो सामूहिक प्रयास किया है, उसके लिए सदन उन सबको धन्यवाद देता है।

यह घटना गंभीर और चिंतनीय है इसलिए हम इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवा रहे हैं। जांच के उपरान्त इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे, उसके अनुरूप हम अपनी कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। संसद के अंदर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी दलों के माननीय नेताओं ने, संसद सदस्यों ने भी आग्रह किया है तथा सुरक्षा व्यवस्था में और क्या-क्या सुधार हो सकता है, उसके लिए भी सभी दलों के नेताओं के सुझाव लिए जाएंगे तथा सुरक्षा पुख्ता की जाएगी।

इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से चर्चा करने के लिए मैंने आज चार बजे बैठक बुलाई है। हम सब इस मत के हैं कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, देश ने देखा है और आगे भी हम देशहित, राष्ट्रहित में अपने दायित्वों और कर्तव्यों को निभाते रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1603 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 14 दिसम्बर 2023 / 23 अग्रहायण 1945 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।